



भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज  
Indian Audit & Accounts Department  
Office of the Accountant General (A&E)-II Uttar Pradesh, Prayagraj



पत्रांक :- पेंशन विविध/56888,56673,56675,57962,54340,59815 /58717 दिनांक :- 03/01/25  
सेवा में,

निदेशक,  
कोषागार निदेशालय, उ०प्र०

1018, दशवा तल, जवाहर भवन, लखनऊ - 226001

विषय :- अन्य राज्यों के राज्य कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा पेंशन में मंहगाई राहत तथा अन्य के भुगतान से संबंधित।

महोदय,

इस पत्र के साथ निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा पेंशन में मंहगाई राहत तथा अन्य सम्बन्धी शासनादेशों की प्रतियां प्रेषित कर रहा हूँ, जिसके अनुसार संबंधित राज्य की पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि में मंहगाई राहत की दर एवं प्रभावी तिथि निम्नानुसार होगी :-

क्रमांक	राज्य का नाम	विषय / दर / प्रभावी तिथि	शासनादेश का सन्दर्भ
1	KERALA	Dearness Relief on Pension with Effect from 10/10/2024 to States Service pensioners / family pensioners including those coming under UGC/AICTE/ Medical Education Schemes. And respect of State judicial Pensioners/Family Pensioners of Kerala State Government-reg.	1)G.O(P)No.-91/2024/FIN, Dated 26.10.2024 2)G.O (P) No.-92/2024/FIN, Dated 26.10.2024 3)G.O.(P)NO.96/2024/FIN,Dated 11.11.2024
2	ASSAM	Payment of Dearness allowance /Dearness Relief to the Serving State Government Empolyees/State Government Pensioner/ Family Pension Holders/Extra Ordinary Pension Holders/ Compassionate Family Pension Holders in Revised rates effective from 01/07/2024 applicable for revised pay scale as per A.S. (ROP) Rules, 2017. (53% of Basic Pay/Basic Pension)	G.O.No.FEG.2498/2017/395 Dated 04/11/2024
3	CHHATTISGARH	Chhattisgarh Lower and Higher Judicial Service (Pay Revision Pension And Other Retirement Benefits) Rules, 2023 50%TO53% w.e.f.01.07.2024 सातवाँ वेतन 01/10/2024 से देय मंहगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत 4% वृद्धि उपरान्त मंहगाई राहत का प्रतिशत 50% छठवाँ वेतनमान 01/10/2024 से देय मंहगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत 9% वृद्धि उपरान्त मंहगाई राहत का प्रतिशत 239%	F.No.3875/3773/21B/C/G/2024, दिनांक 25/10/2024 G.O. 835/F-2013-04-00416/ Fin/Rule/IV, दिनांक 30.10.2024
4	MADHYA PRADESH	विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल दिनांक 03/02/2023, Grant of Deaneess Relief to Central Government pensioners/family pensioners Revised rate effective from 01/07/2023 42% to 46% & Grant of Deaneess Relief to Central Government pensioners/family pensioners Revised rate effective from 01/01/2024 46% to 50% मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में। (छठवाँ वेतनमान 239% एवं सातवाँ वेतनमान 50%)	GONo.फा0क्र04070/2024/21-ब(एक) दिनांक 18/10/2024 GONo.फा0क्र02251/2024/21-ब(एक) दिनांक 11/06/2024 GONo.फा0क्र02250/2024/21-ब(एक) दिनांक 11/06/2024 एफ 9-2/2024/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2024

आपसे अनुरोध है कि संलग्न शासनादेशों में निहित निर्देशानुसार उक्त दरों से, संबन्धित राज्य के पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत तथा अन्य का भुगतान देयता के आधार पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को भी सूचित करें। उक्त आदेशों की प्रति कोषागार के नोटिस बोर्ड में चस्पा करके व्यापक रूप से प्रचारित कर एवं अपने अधीनस्थ उप कोषागारों एवं बैंकों को भी प्रति प्रेषित करें।


भवदीय  
  
 वरि० लेखाधिकारी / पेंशन

No.Pension(Misc)/ 56888,56673,56675,57962,54340,59815/58750

Dated:-03/01/25

Copy forwarded for information and necessary action to:-

SL.	Name of the Office & Address
1	Office of the Accountant General (A&E), Kerala, Thiruvananthapuram -695001
2	Office of the Principal Accountant General (A&E), Assam, Maidamgaon, Beltola, Guwahati-781029
3	Accountant General (A&E)- Chhattisgarh, Zero point Baloda Bazar Road, P.O. Mandhar, Raipur- 493111
4	Office of the Principal Accountant General (A&E)-II, Madhya Pradesh , Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior- 474002
✓ 5	All Chief Treasury Officer/Treasury Officer of the Uttar Pradesh. (E-Mail)
6	Sr. Accounts Officer, O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Audit Bhawan, Vibhuti Khand, Gomatinagar, Lucknow-226010.
7	Dy. Accountant General (Pension) Cell Local.
8	Sr. Accounts Officer, Computer Cell , O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, 20 Sarojini Naidu Marg, Prayagraj-211001

  
 3/1/25  
 सहा० लेखाधिकारी/पेंशन

Email

DAG Pension and GE Cell

**Fwd: [Cag-ae] Dearness relief on pension with effect from 10/2024 to State Service Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical education schemes and in r/o State judicial Pensioners/Family Pensioners of Kerala State Government-reg**

**From :** AG AE II Uttar Pradesh Allahabad  
<agaettarpradesh2@cag.gov.in>

Tue, Dec 10, 2024 03:50 PM

1 attachment

**Subject :** Fwd: [Cag-ae] Dearness relief on pension with effect from 10/2024 to State Service Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical education schemes and in r/o State judicial Pensioners/Family Pensioners of Kerala State Government-reg

**To :** DAG Pension and GE Cell <dagpen-gecell.up2.ae@cag.gov.in>

**From:** "AG AE Kerala Thiruvananthapuram" <agaekerala@cag.gov.in>

**To:** "cag-ae" <cag-ae@lsmgr.nic.in>

**Sent:** Tuesday, December 10, 2024 3:02:24 PM

**Subject:** [Cag-ae] Dearness relief on pension with effect from 10/2024 to State Service Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical education schemes and in r/o State judicial Pensioners/Family Pensioners of Kerala State Government-reg

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) केरल का कार्यालय, तिरुवनंतपुरम  
**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),**  
**KERALA, THIRUVANANTHAPURAM**


Sir,

कृपया अपनी आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्नक प्राप्त करें।

Kindly find the attachment for your necessary action.

Regards,

Senior Accounts Officer /P19



CAG-AE mailing list -- [cag-ae@ismgr.nic.in](mailto:cag-ae@ismgr.nic.in)  
To unsubscribe send an email to [cag-ae-leave@ismgr.nic.in](mailto:cag-ae-leave@ismgr.nic.in)

---

 **Dearness Relief.pdf**  
2 MB

---



महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)  
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001



P19/IV/DRSSA/2024-25/Kerala/ 100

December/2024

To

All the Principal Accountant General/Accountant General  
(As per the mailing list)

Special Seal

Sir,

**Sub:** Dearness Relief on pension with effect from 10/2024 to State Service Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes and in respect of State Judicial Pensioners/Family Pensioners of Kerala State Government- reg.

- Ref:**
1. G.O. (P) No.91/2024/Fin dated 26.10.2024 from the Department of Finance (Pay Research Unit), Government of Kerala
  2. G O. (P) No.92/2024/Fin, dated 26.10 2024 from the Department of Finance (Pay Research Unit), Government of Kerala
  3. G.O.(P)No.96/2024/Fin, dated 11.11.2024 from the Department of Finance (Pay Research Unit), Government of Kerala

I am to enclose herewith the copy of Government Orders cited under references, under 'Special Seal Authorization', received from the Department of Finance (Pay Research Unit), Government of Kerala regarding the revised rates of Dearness Relief on Pension @12% to Kerala State Service Pensioners/Family pensioners and @34% to those Pensioners/Family Pensioners coming under UGC/ AICTE/Medical Education Schemes along with the Pension due with effect from 01.11.2024. Re-employed pensioners are also eligible for the revised rate of Dearness relief with effect from 01.11.2024.

State Service Pensioners/Family Pensioners continuing in the pre-revised scale are eligible for the rates of Dearness relief given at para 3 of the Order cited first. JGC/AICTE/Medical Education whose pension has not been revised as per G O (P) no. 151/2020/Fin dated 05.11.2020 will be eligible to draw the revised rate of DA @203%.


P.T.O

The State Judicial Pensioners/Family Pensioners are eligible to draw DR at the rate of 53% with effect from 01.7.2024 as per the government Order cited 3rd issued in tune with O.M No. 1/5/2024-E.II(B) dated 21.01.2024 of the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India. The arrears of Dearness Relief consequent on this revision to State Judicial Pensioners/Family Pensioners shall be paid in cash.

All Pension Disbursing Authorities are requested to disburse the revised rate of DR as above on the authority of this letter. Doubtful case, if any, may be referred to this office.

The same is being placed in the official website of this office, [www.cag.gov.in/ae/kerala/en](http://www.cag.gov.in/ae/kerala/en), under Pension/Download – download under the link “DR and related orders of Kerala State” This may please be circulated to disbursing authorities under your jurisdiction.

Yours faithfully



Senior Accounts Officer



महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम - 695 001  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)  
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001



PM/2/9-7/24-25/

Dated 02/12/2024

To

1. All District/Sub Treasury Officers
2. The Director of Treasuries, Thiruvananthapuram
3. All Accountants General Offices

Sub: Dearness Relief on Pension with effect from 10/2024 to State Service Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes and in respect of State Judicial Pensioners/ Family Pensioners with effect from 07/2024 –reg .

- Ref: 1. GO (P) No 91/2024/Fin dated 26/10/2024  
2. G.O (P) No.92/2024/Fin dated 26/10/2024  
3. G.O (P) No.96/2024/Fin dated 11/11/2024


While endorsing a copy of GO (P) No 91/2024/Fin dated 26/10/2024 and G.O (P) No.92/2024/Fin dated 26/10/2024 and G.O(P) No.96/2024/Fin dated 11/11/2024, I am to authorise you to pay the revised rates of Dearness Relief on Pension @ 12% to Kerala State Service Pensioners/ Family pensioners and @ 34% to those Pensioners/Family Pensioners coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes along with the Pension due with effect from 01.11.2024. Re-employed pensioners are also eligible for the revised rate of Dearness Relief with effect from 01/11/2024.

State Service Pensioners/Family Pensioners continuing in the pre-revised scale are eligible for the rates of Dearness Relief given at para 3 of the Order cited first, UGC/AICTE/Medical Education whose pension has not been revised as per G.O (P) No.151/2020/Fin dated 05/11/2020 will be eligible to draw the revised rate of DA @203%.

The State Judicial Pensioners /Family Pensioners are eligible to draw DR at the rate of 53% with effect from 01/07/2024 as per the Government Order cited 3<sup>rd</sup> issued in tune with O.M No.1/5/2024-E.II (B) dated 21.1.2024 of the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India. The arrears of Dearness Relief consequent on this revision to State Judicial Pensioners/Family Pensioners shall be paid in cash.

All Pension Disbursing Authorities are requested to disburse the revised rate of DR as above on the authority of this letter. Doubtful cases, if any, may be referred to this office.

Yours faithfully,

  
Senior Accounts Officer



GOVERNMENT OF KERALA

Abstract

Payment of Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners/Family Pensioners – Revised Rates – Orders Issued.

**FINANCE (PAY RESEARCH UNIT) DEPARTMENT**

**G.O.(P)No.91/2024/FIN Dated, Thiruvananthapuram, 26-10-2024**

- Read: 1. G.O.(P) No.27/2021/Fin dated 10.02.2021  
2. G.O.(P) No.30/2021/Fin dated 12.02.2021  
3. G.O.(P) No.17/2024/Fin dated 12.03.2024

**ORDER**

The rates of Dearness Allowance payable to State Government Employees, Teachers, Staff of Aided Schools, Private Colleges and Polytechnics, full-time contingent employees and employees of Local Governments and the Dearness Relief payable to State Service Pensioners, Family Pensioners, Ex-gratia Pensioners and Ex-gratia Family Pensioners will be enhanced from the existing 9% to 12%.

2. The Dearness Allowance payable in respect of those employees continuing in the pre-revised scale will be enhanced as shown below:

Sl.No.	Pay Revision Orders	Revised rate (%)
1.	G.O.(P) No.07/2016/Fin dated 20.01.2016	43
2.	G.O.(P) No.85/2011/Fin dated 26.02.2011	169
3.	G.O.(P) No.145/2006/Fin dated 25.03.2006	360
4.	G.O.(P) No.3000/98/Fin dated 25.11.1998	419



3. The Dearness Relief payable in respect of those pensioners who are drawing pension in the pre-revised scale will be enhanced as shown below:

Sl.No.	Pension Revision Orders	Revised rate (%)
1.	G.O.(P) No.09/2016/Fin dated 20.01.2016.	43
2.	G.O.(P) No.87/2011/Fin dated 28.02.2011	169
3.	G.O.(P) No.180/2006/Fin dated 18.04.2006	360
4.	G.O.(P) No.3001/1998/Fin dated 25.11.1998	419

4. The additional expenditure on this account in respect of Local Governments will be met by them from their own funds.

5. The enhanced rate of Dearness Allowance will also be made applicable to part time teachers and part time contingent employees on the basis of pay drawn by them and to re-employed pensioners.

6. The employees / pensioners of State Public Sector Undertakings / Statutory Corporations / Autonomous Bodies / Boards / Grant-in-aid institutions on State Dearness Allowance/Dearness Relief pattern are eligible for this enhanced rate of Dearness Allowance/Dearness Relief subject to the following conditions:

i. Those organisations which are already on the State pattern of Dearness Allowance/Dearness Relief can release the enhanced rates of Dearness Allowance/Dearness Relief to their employees/ pensioners without reference to Government, but based on a decision by the Board of Directors/Governing Body/Managing Committee/ Executive Committee taking into account the ability of the organisation to meet the expense from its own resource.

ii. If the organisation cannot meet such expenses on its own, prior approval of the Government must be taken. Those organizations where more than 90 % of the salary/pension expenses are met by

Plan/Non Plan grant from the Government, can release Dearness Allowance/Dearness Relief without prior approval of the Government but with the approval of the Board of Directors/ Governing Body/Managing Committee/Executive Committee etc.

iii. This Dearness Allowance/Dearness Relief enhancement is not applicable to those organisations which have been instructed to issue separate Dearness Allowance/Dearness Relief orders (eg. KSEB, KSRTC etc). Such organisations should follow the current practice including prior approval of Government, if any, while sanctioning Dearness Allowance/Dearness Relief to their employees/pensioners.

7. The enhanced Dearness Allowance and Dearness Relief shall be started to draw along with the salary and the pension disbursed from November 2024 onwards, i.e., salary due from the month of October 2024 and pension due from the month of November 2024.

(By order of the Governor)

DR A JAYATHILAKIA S

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

To

The Principal Accountant General (A&E), Kerala,  
Thiruvananthapuram.

The Accountant General (Audit) V/II, Kerala, Thiruvananthapuram.

All Additional Chief Secretaries, Principal Secretaries, Secretaries,  
Special Secretaries, Additional Secretaries, Joint Secretaries, Deputy  
Secretaries and Under Secretaries to Government.

The Secretary to the Hon'ble Governor, Raj Bhavan.

The Private Secretary to Hon'ble Speaker/Deputy Speaker of the  
Legislative Assembly.

The Private Secretaries to Hon'ble Chief Minister and Hon'ble  
Ministers.

P.19  
H63

The Private Secretary to the Hon'ble Leader of Opposition.

The Additional Secretary to the Chief Secretary.

The Head Offices of all Nationalised Banks.

All Heads of Departments/Offices.

The Director of Treasuries, Thiruvananthapuram.

All Departments [all sections] of the Secretariat.

The Secretary, Kerala Public Service Commission.

The Advocate General, Kerala, Ernakulam.

The Registrar, High Court of Kerala, Ernakulam.

The Registrars of all Universities in Kerala.


The Nodal Officer, [www.finance.kerala.gov.in](http://www.finance.kerala.gov.in)

The Chief Project Manager, SPARK

The Web & New Media, Information and Public Relations  
Department

Stock file/Office copy (PRU-2/56/2024-FIN)

Forwarded By order

  
Section Officer

GOVERNMENT OF KERALA

Abstract

Payment of Dearness Allowance / Dearness-Relief payable in respect of the Teaching staff / Pensioners / Family pensioners coming under UGC/AICTE /Medical Education Schemes – Revised Rates – Orders Issued.

FINANCE (PAY RESEARCH UNIT) DEPARTMENT

G.O.(P)No.92/2024/FIN Dated, Thiruvananthapuram, 26-10-2024

- Read:
1. G.O.(P) No.151/2020/Fin dated 05.11.2020
  2. O.M.No.1/2/2022-E-II (B) dated 31.03.2022 from the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.
  3. O.M.No.42/07/2022-P&PW (D) dated 05.04.2022 from the Department of Pension & Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Government of India.
  4. O.M.No.1/3(1)/2008-E.II(B) dated 07.04.2022 from the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.
  5. G.O.(P) No.16/2024/Fin dated 11.03.2024

ORDER

Government are pleased to order that the rates of Dearness Allowance payable in respect of the teaching staff coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes who have changed over to revised UGC/AICTE/Medical Education scale from 01.01.2016 or thereafter will be enhanced from the existing 31% to 34%.

2. The rates of Dearness Allowance payable in respect of the teaching staff coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes who are continuing in the old UGC/AICTE/Medical Education scale from 01.01.2006 or thereafter will be enhanced from the existing 19% to 20%.

3. The rates of Dearness Relief payable to UGC Pensioners/Family pensioners whose Pension/Family pension has been revised as per Government Order read 1<sup>st</sup> above will be enhanced from the existing 31% to 34%.

4. The rates of Dearness Relief payable to UGC Pensioners/Family pensioners whose Pension/Family pension had not been revised as per Government Order read 1<sup>st</sup> above will be enhanced from the existing 196% to 203%.

5. The enhanced Dearness Allowance and Dearness Relief shall be started to draw along with the salary and the pension disbursed from November 2024 onwards, i.e., salary due from the month of October 2024 and pension due from the month of November 2024.

(By order of the Governor)

**DR. A. JAYATHILAKIA S**  
**ADDITIONAL CHIEF SECRETARY**

To:

The Principal Accountant General (A&E), Kerala,  
Thiruvananthapuram.

The Accountant General (Audit) I/II, Kerala, Thiruvananthapuram.

All Additional Chief Secretaries, Principal Secretaries, Secretaries,  
Special Secretaries, Additional Secretaries, Joint Secretaries, Deputy  
Secretaries and Under Secretaries to Government.

The Secretary to the Hon'ble Governor, Raj Bhavan.

The Private Secretary to Hon'ble Speaker/Deputy Speaker of the  
Legislative Assembly.

The Private Secretaries to Hon'ble Chief Minister and Hon'ble  
Ministers.

The Private Secretary to the Hon'ble Leader of Opposition.

The Additional Secretary to the Chief Secretary.

The Head Offices of all Nationalised Banks.

All Heads of Departments/Offices.

The Director of Treasuries, Thiruvananthapuram.

All Departments [all sections] of the Secretariat.

The Secretary, Kerala Public Service Commission.

The Advocate General, Kerala, Ernakulam.

The Registrar, High Court of Kerala, Ernakulam.

The Registrars of all Universities in Kerala.

The Nodal Officer, [www.finance.kerala.gov.in](http://www.finance.kerala.gov.in)

The Chief Project Manager, SPARK

The Web & New Media, Information and Public Relations Department

Stock file/Office copy (PRU-2/56/2024-FIN)

Forwarded /By order

*[Handwritten Signature]*

Section Officer



GOVERNMENT OF KERALA

Abstract

Finance Department - Payment of Dearness Allowance / Dearness Relief to State Judicial Officers / State Judicial Pensioners / family pensioners - Revised Rates effective from 01.07.2024 - Orders Issued.

FINANCE (PAY RESEARCH UNIT) DEPARTMENT

C.O.(P)No.96/2024/FIN Dated, Thiruvananthapuram, 11-11-2024

Read: O.M.No.1/5/2024-E.II (B) dated 21.10.2024 of the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India

ORDER

As per the Office Memorandum read above, Government of India have enhanced the rate of Dearness Allowance payable to the Central Government employees from 50% to 53% with effect from 01.07.2024. Therefore, the rate of Dearness Allowance / Dearness Relief payable to State Judicial Officers / State Judicial pensioners / family pensioners is ordered to be enhanced from the existing rate of 50% to 53% with effect from 01.07.2024.

2. The arrears of Dearness Allowance / Dearness Relief consequent on this revision shall be paid in cash.

(By order of the Governor)


**PRATHEEP KUMAR B**  
**ADDITIONAL SECRETARY**

To:

- The Principal Accountant General (A&E), Kerala,  
Thiruvananthapuram.
- The Principal Accountant General (Audit) / I / Kerala,  
Thiruvananthapuram.
- All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries /  
Special Secretaries / Additional Secretaries / Joint Secretaries / Deputy  
Secretaries / Under Secretaries to Government.
- The Secretary to Governor, Raj Bhavan.

The Additional Secretary to the Chief Secretary  
All Heads of Departments / Offices.  
Home (C) Department.  
The Chief Project Manager, SPARK (PMU).  
The Director of Treasuries, Thiruvananthapuram.  
The Registrar, High Court of Kerala, Ernakulam.  
The Nodal Officer, [www.finance.kerala.gov.in](http://www.finance.kerala.gov.in).  
The Web and New Media, I& PR Department.  
The Stock File/Office Copy ( PRU-2/14/2022-FIN)

Forwarded /By order

  
Section Officer



ES 021741586 SN

Registered / Spl. Seal authority  
**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E) ASSAM,**  
**MAIDAMGAON, BELTOLA, GUWAHATI - 781029**

3/12/24

Special Seal Authority No.Pen-3/T-01/Assam/DR/OAC/Vol-VI/2414-2453  
To,


Date: 28/11/2024

04 DEC 2024

Sl. No.	Name of Office	No. of copies
1.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad-500004.	02
2.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Bihar, Birchand Patel Path, Patna-800001.	02
3.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Chhattisgarh, 12/27, Raman Mandir ward Bilaspur Road, Fafadil, Raipur-492009.	02
4.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Gujarat, Race Course Road, Rajkot-360001.	02
5.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Haryana, Plot No. 4-5, Sector 33-B, Chandigarh-160047.	02
6.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla-171003.	02
7.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Jammu & Kashmir, Srinagar-190009.	02
8.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Jharkhand, P.O:- Doranda, Ranchi-834002.	02
9.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Karnataka, Park House Road, P.B. No. 5329/5369 Bangalore-r	02
10.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Kerala, Thiruvananthapuram-695039.	02
11.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E),-II, Madhya Pradesh, Lekha Bhavan, Jhansi Road, Gwalior-474002	02
12.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E),-I, Maharashtra, 101, M.K. Road, Old C.G.O Building, New Marine Lines, Mumbai-400020.	02
13.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E),-II, Maharashtra, West High Court Road, Civil Lines, Nagpur-440001.	02
14.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Manipur, Imphal-795001.	02
15.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Meghalaya, Shillong-793001.	02
16.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Nagaland, Kohima -797001	02
17.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Odisha, Bhubaneswar-751001	02
18.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Punjab, Sector 17-E, Chandigarh-160017	02
19.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Rajasthan, Janpath, Jaipur-302005	02
20.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Sikkim, Lakha Pariksha Bhavan, Deorali, Gangtok-737102.	02
21.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018.	02
22.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Tripura, P.O:- Kunjaban, Agartala-799006.	02
23.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E),-II, Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad-211001.	02
24.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), Uttrakhand, Oberai Motors Buildings, Saharanpur Road, Majra, Dehradun-248171	02
25.	Sr. Deputy Accountant General (Pension), O/o the A.G (A&E), West Bengal, Treasury Building No. 2, Govt. Place (West), Kolkatta-700001	02

SSDA  
170  
11/12/24

Shm Kp  
10/12/24



56673  
10/12/24

Pentru s.c.

26.	The Pay & Accounts Officer, No. V, Tis-Hazari, New-Delhi-54	02
27.	The Pay & Accounts Office III, Delhi Administration, New-Delhi-22	02
28.	The Director, Directorate of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	02
29.	The Principal Chief Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, Akbar Bhawan - 3 <sup>rd</sup> Floor, Chanayakhapuri, New Delhi-21.	02
30.	The Director of Accounts & Treasuries, Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun.	02
31.	The Chief Controller of Accounts and Treasuries, Govt. of Mizoram, Aizawl.	02
32.	The Secretary, Finance Deptt, Govt. of Sikkim, Sikkim.	02
33.	The Director of Accounts, Pension, Panaji, Goa.	02
34.	The Accountant General(A&E),Telengana,Andrapradesh,Hyderabad-500004	02
35.	Secretary,Govt.Pensioner's Associaion ,Assam ,West Bengal Branch, Calcutta	02
36.	The Principal A.G (A&E),Andrapradesh ,Vijayawada -520002	02
37.	The Director of Audit and Pension,Govt.of Arunachal Pradesh,Naharlagun,PIN-791110	02
38.	The Secretary ,Finance Department,Govt.of Tripura,Agartala,PIN-799001	02
39.	The Principal Chief Controller of Accounts, M/O External Affairs,2 <sup>nd</sup> Floor,'A' wing,Jaharlal Nehru,Bhawan,J anapath, New Delhi-110011	02
40.	The Controller of Accounts, Govt.of India,M/O Finance ,Deptt.of Expenditure,C.P.A,O.Trikoot-II,Bhikaji Cama Place, New Delhi ,110066	02
	Total	80

Sub:- Payment of Dearness Allowance/Dearness Relief to the State Government Pensioners/Family Pension Holders/Extra Ordinary Pension Holders/Compassionate Family Pension Holders in Revised rates effective from 01/07/2024 applicable for revised pay scale as per A.S. (ROP) Rules, 2017.

Sir,

I am to forward herewith the copies of Govt. of Assam O.M. No. FEG. 2498/2017/395 dated Dispur, the 4<sup>th</sup> November ,2024 and authorise you to make necessary arrangement for payment of Dearness Allowance/Dearness Relief to the State Government Pensioners/Family Pension Holders/Extra Ordinary Pension Holders in Revised rates effective from 01/07/2024 @ 53 % of Basic Pension applicable for revised pay scale as per Assam Service (ROP) Rules, 2017 thus enhancing the rate by 3 % from the previous rate.


The expenditure is debitale under Major Head 8793- Inter State Suspense A/c transactions between Assam and other States.

Encl:- As stated above.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer,  
i/c Pension-3 Section.

24/11/2024  
C/O IAS Accounts Govt. Assam



GOVERNMENT OF ASSAM  
FINANCE (ESTT-A) DEPARTMENT  
F' BLOCK :: 2<sup>ND</sup> FLOOR :: JANATA BHAWAN  
DISPUR ::: GUWAHATI-6

OFFICE MEMORANDUM

No.FEG. 2498/2017/395

Dated Dispur, the 4<sup>th</sup> November, 2024

Sub. : Payment of Dearness Allowance/ Dearness Relief to the serving State Government Employees/State Government Pensioners/Family Pension Holders/Extra Ordinary Pension Holders/Compassionate Family Pension Holders in revised rates effective from 01/07/2024, applicable for revised pay scale as per A.S. (ROP) Rules, 2017.

The undersigned is directed to refer to Finance Department's OM vide No. FEG.2498/2017/368 dated 16/03/2024 and to say that Governor of Assam is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief (D.A./D.R.) to the State Government employees and the pensioners who are entitled to draw pay & pension as per A.S. (ROP) Rules, 2017 shall be admissible as per rate shown below:

Period from which payable	Rate of D.A./D.R. enhanced	Rate of D.A./D.R. per mensem
From 01/07/2024	3%	53% of Basic Pay/Basic Pension

Note :- The payment on account of D.A./D.R. involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and fraction of less than 50 paise may be ignored.

1) The order shall apply to Government employees who are brought over to the revised scale of pay w.e.f. 01/04/2016 and to those who elected to retain the scale of pay that prevailed prior to 01/04/2016. In case of the former, pay for the purpose of D.A. will be as defined in F.R. 9(21) (a) (i) including stagnation increment. Those Govt. employees who exercised option to retain the scale of pay that existed prior to 01/04/2016 shall continue to draw the D.A. as is appropriate to the pay scales in force on 31/03/2016.

2) The orders shall also be applicable to work charged employees and to those paid from contingencies and holding posts carrying identical pay scales as applicable to the employees of the regular establishments of corresponding categories.

3) The amount sanctioned shall be classified as D.A./D.R. and the expenditure for the purpose will be debitable to the detailed head of Salary, Wages or Pension under respective head of account from which Govt. employees draw their pay and the Pensioners draw their pension.

4) (i) The enhanced rate of 53% D.A./D.R shall be paid along with monthly pay/pension for the month of November 2024, in December 2024.

(ii) The arrear D.A/D.R. with effect from 01/07/2024 to 31/10/2024 shall be paid in 4 (four) equal installments in the months of December 2024, January 2025, February 2025 and March 2025 respectively through Bank Accounts of the Employees/Pensioners.

(iii) State Govt. employees whose superannuation was/is due in the period w.e.f. July, 2024 to October, 2024 may be allowed enhanced rate (53%) of D.A. while computing their leave encashment benefit.

5) The Treasuries and Sub-Treasuries in Assam/Authorized Public Sector Banks are requested to arrange for the payment of Dearness Relief to the Pensioners/Family Pension Holders/Extra Ordinary Pension Holders/Compassionate Family Pension Holders on the basis of this O.M.

Signed by

Malavika Choudhury

Date: 04-11-2024 16:19:16

Secretary to the Govt. of Assam  
Finance (Estt.-A) Department

Memo. No.FEG.2498/2017/395-A

Dated Dispur, the 4<sup>th</sup> November, 2024

Copy forwarded to:-

- 1) The Accountant General (A&E), Assam, Guwahati-29. He is requested kindly to issue General Authority for the purpose of drawal of Dearness allowances by the officers drawing pay on the strength of Pay Slip.
- 2) The Accountant General (Audit), Assam, Guwahati-29.
- 3) The Commissioner & Secretary and Project Director, ASPIRe, ASCFMS, Finance Department for implementation of the enhanced percentage of Dearness Allowance in the Bill Module of the FinAssam Portal to facilitate preparation of Salary Bills accordingly.He is also requested to upload this O.M in the FinAssam homepage as well as in the Bill Module for making it available for the DDOs.
- 4) The Chairman, Board of Revenue, Assam/ Chairman, Assam Administrative Tribunal.
- 5) All Administrative Departments/ Heads of Department, Assam.
- 6) The Regional Manager, S.B.I./U.B.I./U.C.O. Bank/ Allahabad Bank/ Punjab National Bank/ Canara Bank/ Central Bank of India. He is requested to arrange for release of Dearness Relief to the Pensioners/ Family Pensioners/ Extra-ordinary pension holders at revised rate and also arrear Dearness Relief as mentioned in the Office Memorandum.
- 7) All Addl. Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Commissioner & Secretaries/ Secretaries to the Govt. of Assam, Dispur.
- 8) The Commissioner & Secretary to the Govt. of Assam, ARTP&PG Department for information and necessary action.
- 9) The Commissioner & Secretary to the Governor of Assam, Kharghuli, Guwahati.
- 10) The Chief Electoral Officer, Assam, Dispur for information.
- 11) All Commissioners of Divisions, Assam.
- 12) The Secretary (Co-ordination) to Chief Secretary, Assam, Dispur, Guwahati-6
- 13) The General Administration Department, Dispur, Guwahati-6 with a request to circulate the O.M to the Resident Commissioner, Assam Bhawan, New Delhi, all the Deputy Commissioners/Sub-Divisional Officers (Civil), Assam and OSD/Liaison Officer, Assam House, Shillong/ Assam House, Mumbai.
- 14) The Finance (Estt.-B) Department with a request to circulate the same to all the Sr. Financial Advisers/ Financial Advisers/ Finance & Accounts Officers/ Treasury Officers, Assam.
- 15) The Trade Adviser to the Govt. of Assam, Assam House, 8 Russel Street, Kolkata.
- 16) The Registrar General, Gauhati High Court, Guwahati-1.
- 17) The Judicial Department with a request to circulate the O.M to all District & Session Judges in Assam.
- 18) The PPS to the Hon'ble Chief Minister, Assam, Dispur.
- 19) The PSs to all Hon'ble Ministers, Assam, Dispur.
- 20) The Political (Cabinet Cell) Department, Dispur, Guwahati-06 for favour of kind information.

2/12/24

GOVERNMENT OF ASSAM  
FINANCE (ESTT-A) DEPARTMENT  
'F' BLOCK :: 2<sup>ND</sup> FLOOR :: JANATA BHAWAN  
DISPUR :: GUWAHATI-6

OFFICE MEMORANDUM

No.FEG. 2498/2017/395

Dated Dispur, the 4<sup>th</sup> November, 2024

Sub. : Payment of Dearness Allowance/ Dearness Relief to the serving State Government Employees/State Government Pensioners/Family Pension Holders/Extra Ordinary Pension Holders/Compassionate Family Pension Holders in revised rates effective from 01/07/2024, applicable for revised pay scale as per A.S. (ROP) Rules, 2017.

The undersigned is directed to refer to Finance Department's OM vide No. FEG.2498/2017/368 dated 16/03/2024 and to say that Governor of Assam is pleased to decide that the Dearness Allowance/Dearness Relief (D.A./D.R.) to the State Government employees and the pensioners who are entitled to draw pay & pension as per A.S. (ROP) Rules, 2017 shall be admissible as per rate shown below:

Period from which payable	Rate of D.A./D.R. enhanced	Rate of D.A./D.R. per mensem
From 01/07/2024	3%	53% of Basic Pay/Basic Pension

Note :- The payment on account of D.A./D.R. involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and fraction of less than 50 paise may be ignored.

- 1) The order shall apply to Government employees who are brought over to the revised scale of pay w.e.f. 01/04/2016 and to those who elected to retain the scale of pay that prevailed prior to 01/04/2016. In case of the former, pay for the purpose of D.A. will be as defined in F.R. 9(21) (a) (i) including stagnation increment. Those Govt. employees who exercised option to retain the scale of pay that existed prior to 01/04/2016 shall continue to draw the D.A. as is appropriate to the pay scales in force on 31/03/2016.
- 2) The orders shall also be applicable to work charged employees and to those paid from contingencies and holding posts carrying identical pay scales as applicable to the employees of the regular establishments of corresponding categories.
- 3) The amount sanctioned shall be classified as D.A./D.R. and the expenditure for the purpose will be debitable to the detailed head of Salary, Wages or Pension under respective head of account from which Govt. employees draw their pay and the Pensioners draw their pension.
- 4) (i) The enhanced rate of 53% D.A./D.R shall be paid along with monthly pay/pension for the month of November 2024, in December 2024.  
(ii) The arrear D.A./D.R. with effect from 01/07/2024 to 31/10/2024 shall be paid in 4 (four) equal installments in the months of December 2024, January 2025, February 2025 and March 2025 respectively through Bank Accounts of the Employees/Pensioners.  
(iii) State Govt. employees whose superannuation was/is due in the period w.e.f. July, 2024 to October, 2024 may be allowed enhanced rate (53%) of D.A. while computing their leave encashment benefit.

5) The Treasuries and Sub-Treasuries in Assam/Authorized Public Sector Banks are requested to arrange for the payment of Dearness Relief to the Pensioners/Family Pension Holders/Extra Ordinary Pension Holders/Compassionate Family Pension Holders on the basis of this O.M.

Signed by  
Malavika Choudhury  
Date: 04-11-2024 16:19:16

Secretary to the Govt. of Assam  
Finance (Estt.-A) Department

Memo. No.FEG.2498/2017/395-A  
Copy forwarded to:-

Dated Dispur, the 4<sup>th</sup> November, 2024

- 1) The Accountant General (A&E), Assam, Guwahati-29. He is requested kindly to issue General Authority for the purpose of drawal of Dearness allowances by the officers drawing pay on the strength of Pay Slip.
- 2) The Accountant General (Audit), Assam, Guwahati-29.
- 3) The Commissioner & Secretary and Project Director, ASPIRe, ASCFMS, Finance Department for implementation of the enhanced percentage of Dearness Allowance in the Bill Module of the FinAssam Portal to facilitate preparation of Salary Bills accordingly. He is also requested to upload this O.M in the FinAssam homepage as well as in the Bill Module for making it available for the DDOs.
- 4) The Chairman, Board of Revenue, Assam/ Chairman, Assam Administrative Tribunal.
- 5) All Administrative Departments/ Heads of Department, Assam.
- 6) The Regional Manager, S.B.I./U.B.I./U.C.O. Bank/ Allahabad Bank/ Punjab National Bank/ Canara Bank/ Central Bank of India. He is requested to arrange for release of Dearness Relief to the Pensioners/ Family Pensioners/ Extra-ordinary pension holders at revised rate and also arrear Dearness Relief as mentioned in the Office Memorandum.
- 7) All Addl. Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Commissioner & Secretaries/ Secretaries to the Govt. of Assam, Dispur.
- 8) The Commissioner & Secretary to the Govt. of Assam, ARTP&PG Department for information and necessary action.
- 9) The Commissioner & Secretary to the Governor of Assam, Kharghuli, Guwahati.
- 10) The Chief Electoral Officer, Assam, Dispur for information.
- 11) All Commissioners of Divisions, Assam.
- 12) The Secretary (Co-ordination) to Chief Secretary, Assam, Dispur, Guwahati-6
- 13) The General Administration Department, Dispur, Guwahati-6 with a request to circulate the O.M to the Resident Commissioner, Assam Bhawan, New Delhi, all the Deputy Commissioners/Sub-Divisional Officers (Civil), Assam and OSD/Liaison Officer, Assam House, Shillong/ Assam House, Mumbai.
- 14) The Finance (Estt.-B) Department with a request to circulate the same to all the Sr. Financial Advisers/ Financial Advisers/ Finance & Accounts Officers/ Treasury Officers, Assam.
- 15) The Trade Adviser to the Govt. of Assam, Assam House, 8 Russel Street, Kolkata.
- 16) The Registrar General, Gauhati High Court, Guwahati-1.
- 17) The Judicial Department with a request to circulate the O.M to all District & Session Judges in Assam.
- 18) The PPS to the Hon'ble Chief Minister, Assam, Dispur.
- 19) The PSs to all Hon'ble Ministers, Assam, Dispur.
- 20) The Political (Cabinet Cell) Department, Dispur, Guwahati-06 for favour of kind information.



EC 27871701 5 &amp; N1

## भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

INDIAN AUDIT &amp; ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL.,

(ACCOUNT &amp; ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

दिनांक : 27.11.2024

Date :

M  
प्रति,  
SSDA  
171  
11/2/24  
56675  
16/12/24

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर  
कार्यालय नं. 49, बालोदा बाजार

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर  
दिनांक: 09 DEC 2024

1	वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र.-5, कोषालय भवन, तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	110124
2	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आन्ध्र प्रदेश, विजयवाड़ा	520002
3	O/o The Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh	791110
4	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी	781029
5	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, ऑडिट भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	380009
6	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार पटना, बीरचंद पटेल पथ, पटना	800001
7	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं-4, एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़	160047
8	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला	171003
9	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू काश्मीर, एजीविशन ग्राउंड के निकट, श्रीनगर	190009
10	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, रांची	834002
11	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर	560001
12	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी.रोड, तिरुवनंतपुरम	695039
13	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)	474002
14	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन. मैरिन लाइन्स, मुम्बई	400020
15	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर	440001
16	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल	795001
17	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलाँग	793001
18	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, एजवल	796001
19	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा	797001
20	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडिसा, भुवनेश्वर	751001
21	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़	160017
22	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर	302005
23	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली, पी.ओ.-टाडोंग, गंगटोक	737102
24	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई	600018
25	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पो.ऑ.-कुजाभवन, अगरतल्ला	799006

26.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बोर्ड लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून आंबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून	248171
27.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, ऑडिट भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	226010
28.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, 20 सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	211001
29.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बंगाल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गर्बर्मेट प्लेस (वेस्ट) कोलकाता	700001
30.	कंट्रोलर ऑफ अकाउण्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन, नई दिल्ली	110021
31.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, पेंशन अनुभाग, पणजी, गोवा	403101
32.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एवं ट्रेजरी, पाण्डिचेरी सरकार, पाण्डिचेरी	605001
33.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, हैदराबाद	500004
34.	लेखा एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यय विभाग, त्रिकुट-II भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	110066

विषय: Chhattisgarh Lower and Higher Judicial Service (Pay Revision Pension and other Retirement Benefits) Rules, 2023] and /or to Pensioner Judicial Officers and to Family Pensioners of Deceased Judicial Officers of State, who are receiving pension/Family pension as per revised pay scale, from the existing rate of 50% to 53% w.e.f. 01.07.2024

संदर्भ: Govt. of Chhattisgarh Law & Legislative Affairs Department Order F. No. 3875 /3773/21-B/C.G./2024 Dated-25.10.2024.

संदर्भित आदेश <http://highcourt.cg.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है मैं दिये गये निर्देशों का पालन करने एवं अपने अधीनस्थ कोषालयों/उप कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित कृपया पावती भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न: संदर्भित आदेश की प्रति।

भवदीय

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.  
दिनांक:

पृ.क्र.पी.ए./छत्तीसगढ़राहतआदेश/

प्रतिलिपि:

विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ता-  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.



GOVERNMENT OF CHHATTISGARH  
**LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT MANTRALAYA**  
**MAHANADI BHAWAN,**  
**NAVA RAIPUR, ATAL NAGAR, (C.G.) 492002**

25 OCT 2024

// ORDER //

Raipur ...../10/2024

PA  
F.No. 3875 ...../3773/21-B/C.G./2024, the State Government, consequent to the enhancement of the rate of Dearness Allowance payable to the Central Government officers/employees vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure O.M. No. 1/5/2024-E-II (B), dated 21.10.2024, hereby, enhances the Dearness Allowance payable to the Judicial Officers of the State, whose pay scale have been revised on the basis of 2<sup>nd</sup> National Judicial Pay Commission recommendation [The Chhattisgarh Lower & Higher Judicial Service (Pay Revision, Pension and other Retirement Benefits) Rules, 2023] and/or to Pensioner Judicial Officers and to Family Pensioners of Deceased Judicial Officers of the State, who are receiving pension/ family pension as per revised pay scale, from the existing rate of 50% to 53% w.e.f. 01.07.2024.

By Order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,

(Rajnish Shrivastava)  
Principal Secretary  
Government of Chhattisgarh  
Law & Legislative Affairs Department

Raipur, ...../10/2024

3876  
Endt. No. .... /3773 /21-B/C.G./2024

Copy to:

1. Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur,
2. Secretary, Government of Chhattisgarh, Finance Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar,
3. Secretary, General Administration Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar,
4. Accountant General, Chhattisgarh, Raipur,
5. Legal Advisor to Governor, Governor's Secretariat, Raipur,
6. Director, Treasury, Accounts and Pension, Raipur,

25 OCT 2024

Continued..2..



क्रमांक: पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/वि.मु.प्रा.पत्र./ 1004  
EC 355-190355 8N

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर


INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL.,  
(ACCOUNT & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

दिनांक : 04-12-2024

Date :

प्रति,

SSDR/179  
18/12/24



1.	वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र. 5, कोषालय भवन, तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	110124
2.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आन्ध्र प्रदेश, विजयवाड़ा	520002
3.	O/o The Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh	791110
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी	781029
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, ऑडिट भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	380009
6.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार पटना, बीरचंद पटेल पथ, पटना	800001
7.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं-4, एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़	160047
8.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला	171003
9.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू काश्मीर, एग्जीविशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर	190009
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, रांची	834002
11.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर	560001
12.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी.रोड, तिरुवनंतपुरम	695039
13.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)	474002
14.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन. मैरिन लाइन्स, मुम्बई	400020
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर	440001
16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल	795001
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलांग	793001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, एजवल	796001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा	797001
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडिसा, भुवनेश्वर	751001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़	160017
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर	302005
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली, पी.ओ.-टाडोंग, गंगटोक	737102
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु 361 अन्ना सलाई टेंयनामपेट, चेन्नई	600018
25.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पो.ऑ.-कुजाभवन, अगरतल्ला	799006

57962  
17/12/24

Shob K  
18/12/24

26.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून	248171
27.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, ऑडिट भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	226010
28.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, 20 सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	211001
29.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बंगाल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकाता	700001
30.	कंट्रोलर ऑफ अकाउण्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन, नई दिल्ली	110021
31.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, पेंशन अनुभाग, पणजी, गोवा	403101
32.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एवं ट्रेजरी, पाण्डिचेरी सरकार, पाण्डिचेरी	605001
33.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, हैदराबाद	500004
34.	वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यय विभाग, त्रिकुट-II भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	110066

**विषय:** छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर दिनांक 01.07.2024 से सातवें वेतनमान में 50% एवं छठवें वेतनमान में 239% की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में।

**संदर्भ:** छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 835/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/ चार, दिनांक 30.10.2024.

महोदय,

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं संबन्धित सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें। संबन्धित आदेश की प्रति वित्त विभाग की वेबसाइट [finance.cg.gov.in](http://finance.cg.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है।

संलग्न: संदर्भित निर्देश की प्रति।

भवदीय

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

दिनांक:

पू.क्र. पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/

प्रतिलिपि:

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक: 894/एफ 2013-04-00416/वि/नि/ चार, दिनांक 20.11.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.



EC 355197328 IM

क्र. पी. अ. / छत्तीसगढ़ सहित आदेश / 1112

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

INDIAN AUDIT &amp; ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL.,

(ACCOUNT &amp; ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

M  
SSDR/180  
27/12/24Link with  
SSDR/179  
27/12/24  
P/G

दिनांक :

Date : 18/12/2024

प्रति,

1.	वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र.-5, कोषालय भवन, तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	110124
2.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आन्ध्र प्रदेश, विजयवाड़ा	520002
3.	O/o The Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh	791110
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगाँव बेलटोला, गुवाहाटी	781029
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, ऑडिट भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	380009
6.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार पटना, बीरचंद पटेल पथ, पटना	800001
7.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं-4, एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़	160047
8.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला	171003
9.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू काश्मीर, एग्जीक्यूटिव प्राइवेट के निकट, श्रीनगर	190009
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, रांची	834002
11.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पो.बॉ.-5329/5369 बैंगलोर	560001
12.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी.रोड, तिरुवनंतपुरम	695039
13.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)	474002
14.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन. मैरिन लाइन्स, मुम्बई	400020
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर	440001
16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल	795001
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलोंग	793001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, एजवल	796001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा	797001
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडिसा, भुवनेश्वर	751001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़	160017
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर	302005
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली, पी.ओ.-टाडोंग, गंगटोक	737102
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई	600018

59743 =  
27/12/24महालेखाकार (लेखा एवं हक.)  
26 DEC 2024कार्यालय एवं लेखा परीक्षा विभाग - II  
समन्वयक  
Pentam 30

Shri RK

25.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पो.ऑ.-कुंजाभवन, अगरतल्ला	799006
26.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून	248171
27.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, ऑडिट भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	226010
28.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, 20 सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	211001
29.	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बंगाल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकाता	700001
30.	कंट्रोलर ऑफ अकाउण्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन, नई दिल्ली	110021
31.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, पेंशन अनुभाग, पणजी, गोवा	403101
32.	डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एवं ट्रेजरी, पाण्डिचेरी सरकार, पाण्डिचेरी	605001
33.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, हैदराबाद	500004
34.	वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यय विभाग, त्रिकुट-II भोकाजी काभा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	110066


विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर दिनांक 01.10.2024 से सातवें वेतनमान में 50% एवं छठवें वेतनमान में 239% की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/ पी.ए./ छत्तीसगढ़ राहत आदेश/ वि.मु.प्रा.पत्र/977-1011, दिनांक-04.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन हेतु सातवें वेतनमान में 50% एवं छठवें वेतनमान में 239% की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था I उक्त पत्र में त्रुटिवश आदेश लागू होने का दिनांक 01.07.2024 दर्ज कर दिया गया था परन्तु वास्तव में यह आदेश दिनांक 01.10.2024 से लागू होगा I अतः उक्त संदर्भित पत्र में दिनांक 01.07.2024 को दिनांक 01.10.2024 पढ़ा जावे I

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं संबन्धित सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें। संबन्धित आदेश की प्रति वित्त विभाग की वेबसाइट [finance.cg.gov.in](http://finance.cg.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है।

भवदीय  
  
 वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.  
 दिनांक:

पृ.क्र. पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/

प्रतिलिपि:

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक: 894/एफ 2013-04-00416/वि/नि/ चार, दिनांक 20.11.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ता/-  
 वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH**  
**FINANCE DEPARTMENT**  
**MANTRALAYA**

**MAHANADI BHAVAN, NAVA RAIPUR ATAL NAGAR**

No. 835 /F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, Nava Raipur Atal Nagar, Dated 30.10.2024  
To,

All Department of Government  
The President of Board of Revenue, Bilaspur  
All Heads of Department  
All Commissioners of Divisions  
All Collectors  
Chhattisgarh.

Sub -Revised rate of dearness relief to Chhattisgarh Government pensioners.

The State Government had sanctioned 46% (in Seventh Pay Scale) and 230%(in Sixth Pay Scale) dearness relief w.e.f. 01.03.2024 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 144/F 2013-04-00416/Fin./Rule/IV, dated 15.03.2024.

2. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Pay Scale,	Date from which payable	Rate of increase in Dearness Relief	Increased Dearness Relief
Seventh Pay Scale	01-10-2024	4% of Basic Pension/ Family Pension	50%
Sixth Pay Scale	01-10-2024	9% of Basic Pension/ Family Pension	239%


3. The above dearness relief shall be payable to the persons receiving Pension, family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Chhattisgarh Government, Finance Department's Memo No. 677/279/2024/ Fin./Rule/IV, dated 23-09-2024 (Finance Circular 07/2024) and Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76. (Encl. – Finance Circular 07/2024)

4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation)

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No.E-4/1/83/R-V/IV, dated 29<sup>th</sup> January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Principal Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh

  
(Dr. A.K. Singh)

✓ Additional Secretary



सत्यमेव जयते

CI 120757242 IN

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - द्वितीय, मध्यप्रदेश

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
सर्वोच्च लेखा संस्थान  
Dedicated to Truth in Public Interest

कमांक/पेंशन/ 3332

दिनांक:- 13.11.24

प्रति,

1.	Principal Accountant General (A&E) Telangana, Saifabad, Hyderabad	500004
2.	Principal Accountant General (A&E) Andhra Pradesh, Vijayawada	520002
3.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
4.	Accountant General (A&E) Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
5.	Accountant General (A&E) Bihar, Birchand Patel Marg, R-Block, Patna	800001
6.	Accountant General (A&E) Chhatisgarh, Baloda Bazar Road, Opp. Vidhan Sabha Road, Raipur	492005
7.	Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Fazenda Building, Behind old Secretariat, Panji, Goa	403001
8.	Pr. Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad, "Audit Bhawan", Vth Floor, Navarangpura, Ahmedabad	380009
9.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
10.	Pr. Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
11.	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
12.	Pr. Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5 Bengaluru	560001
13.	Pr. Accountant General (A&E), Kerala, Post Box No.5607, M.G Road Thiruvananthapuram	695001
14.	Pr. Accountant General (A&E), Jharkhand, Post office Doranda, Ranchi	834002
15.	Pr. Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd floor, Partishtha Bhawan, New Marine Lines, Marashi Karve Road, Mumbai	400020
16.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
17.	Pr. Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
18.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shillong	793001
19.	Accountant General (A&E), Mizoram, New Capital Parisar, Khatla, Aizawl	796001
20.	Pr. Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
21.	Accountant General (A&E), Odissa, Bhubaneswar	751001
22.	Accountant General (A&E), Punjab & UT of Chandigarh, Sector 17 E, Chandigarh	160017
23.	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
24.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
25.	Accountant General (A&E), Tamilnadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
26.	Accountant General (A&E), Tripura, PO-Kunjavan, Agartala	799006
27.	Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Audit Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow (U.P)	226001
28.	Accountant General (A&E)-II, 20 Sarojini Naidu Marg, Uttar Pradesh, Prayagraj (U.P)	211002

SSDR  
162  
27/11/24

कोषाध्यक्ष महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - द्वितीय, मध्यप्रदेश  
आपके संकेत पर  
समस्त कार्य  
अनुष्ठात

लेखा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - द्वितीय, मध्यप्रदेश  
डाक  
26 NOV 2024

54340  
27/11/24

Shrik  
27/11/24

Address : Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002  
Phone : 0751-2370963  
Fax : 0751-2432194

पता : लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर-474002  
दूरभाष : 0751-2370963  
फैक्स : 0751-2432194



29.	Pr. Accountant General (A&E), Utrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun	248195
30.	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, Kolkata	700001
31.	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry	605001
32.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110001
33.	Pay & Accounts Officer No.5, Pension Govt. of National Capital Territory of Delhi Treasury Building, Tis Hazari, New Delhi	110054
34.	Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

**Sub:-** मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के समान महंगाई राहत का भुगतान से किये जाने के संबंध में।

**Ref:-** 1.मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का फा.कमांक 4070/2024/21-ब(एक) भोपाल, दिनांक 18.10.2024।  
2.मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का फा.कमांक 2250/2024/21-ब(एक) भोपाल, दिनांक 11.06.2024 एवं फा.कमांक 2251/2024/21-ब(एक) भोपाल, दिनांक 11.06.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक 01 द्वारा प्राप्त मध्यप्रदेश राज्य पत्र मे दिनांक 03.02.2023 के प्रकाशित नियम-मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों का पुनरीक्षण) नियम,2022, तत्पश्चात दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के सेवारत पेंशनभोगियों/परिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध मे नियम-10 एवं नियम-11 मे किए गए संशोधन दिनांक 06.10.2023 की प्रतिलिपि एवं संदर्भित पत्र कमांक 02 मे महंगाई राहत संबंधी आदेश की छायाप्रति (जो कि पूर्व में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.07.2024 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है ) इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। उक्त आदेशों की प्रतियां अपने अधीनस्थ कोषालय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजने की व्यवस्था करें।

तदनुसार उपरोक्त आदेशों की प्रतिलिपि समुचित कार्यवाही हेतु विशेष मुद्रा प्राधिकार के अंतर्गत सादर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

प्रभारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

SP- 539, 239, 965

speed 1007

93106



मध्यप्रदेश शासन,  
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 4070/2024/21-ब(एक),

भोपाल, दिनांक 18/10/2024

प्रति,

प्रभारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन,  
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय,  
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

927818

16


विषय : मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के समान महंगाई राहत की स्वीकृति।

संदर्भ :- आपके पत्र क्रमांक/पेंशन/2963 दिनांक 30.09.2024 के संबंध में।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-पश्चिम बंगाल के पत्र के अनुक्रम में मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के 01.01.2016 के पूर्व सदस्यों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण एवं अद्यतन महंगाई राहत के विषय से संबंधित आदेश भिजवाये जाने हेतु लिखा गया है।

अतः इस संबंध में विभाग द्वारा जारी किए गए मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 03 फरवरी, 2023 के प्रकाशित नियम-मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022, तत्पश्चात् दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के सेवारत पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में नियम-10 एवं नियम-11 में किए गए संशोधन दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 तथा चाहे गये महंगाई राहत संबंधी आदेश क्रमांक 2251/2024/21-ब(एक), दिनांक 11.06.2024 और आदेश क्रमांक 2250/2024/21-ब(एक), दिनांक 11.06.2024 की छायाप्रतियां समुचित कार्यवाही के लिए संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।



16/10/2024  
नरेंद्र प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग  
ग्वालियर

DA-49  
PA  
5-11-24

Shomachar

Shomachar

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2023—माघ 14, शक 1944

## भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक.	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2023

फा. क्र. 482—इक्कीस—ब(एक)—2023.— यतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.(सी) 643/2015, ऑल इण्डिया जजेस एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य दिनांक 27 जुलाई 2022 में दिए गए निर्देशों के पालन में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

### नियम

#### 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 है।
- (2) ये नियम जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

#### 2. प्रयुक्ति का विस्तार.— ये नियम मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा तथा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के समस्त सदस्यों को लागू होंगे।

#### 3. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "मूल वेतन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश फण्डामेंटल रूल्स के नियम 9 (21) (ए) (एक) में यथा परिभाषित वेतन;
- (ख) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, एक पृथक् यूनिट के रूप में स्वीकृत सेवा की पद संख्या (स्ट्रेंथ) या सेवा का भाग;
- (ग) "विद्यमान उपलब्धियों" से अभिप्रेत है, (एक) विद्यमान मूल वेतन (दो) मूल वेतन पर उपयुक्त मंहगाई वेतन (तीन) मूल वेतन+मंहगाई वेतन पर दिया जाने वाला उपयुक्त मंहगाई भत्ता तथा (चार) 1 जनवरी, 2016 से सेवा के सदस्यों को संदत्त हो रही 30 प्रतिशत अंतरिम राहत की राशि;
- (घ) "वर्तमान पद" से अभिप्रेत है, अनुसूची के भाग-एक में दी गई तालिका रतमा क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट पद;
- (ङ) "विद्यमान वेतनमान" सेवाओं के किसी सदस्य के संबंध में विद्यमान वेतनमान से अभिप्रेत है 1 जनवरी, 2016 को किसी सदस्य द्वारा धारित पद पर लागू विद्यमान वेतनमान, चाहे वह मूल या स्थानापन्न रूप में हो, और जो अनुसूची के भाग-एक में दी गई तालिका के स्तंभ क्रमांक (3) में विनिर्दिष्ट हो;

**स्पष्टीकरण.—** सेवा के किसी सदस्य के मामले में, जो 1 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर था या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर हो या भारत के बाहर बाह्य सेवा में हो, या जो उस तारीख को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप में रहते हुए एक या एक से अधिक निचले पदों पर रहा हो, "विद्यमान वेतनमान" में सम्मिलित है, पद पर लागू वेतनमान जो उसके यथास्थिति, छुट्टी या बाह्य सेवा पर रहते हुए, किन्तु किसी उच्चतर पद पर अपने स्थानापन्न रूप में रहते हुए, धारित किया हो।

- (घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (छ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (ज) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय;
- (झ) किसी पद तथा वेतनमान के संबंध में "पुनरीक्षित वेतनमान" से अभिप्रेत है, अनुसूची के भाग-एक की तालिका के स्तम्भ क्रमांक (4) व (5) एवं भाग-दो की तालिका के दर्शित लेवल में यथा विनिर्दिष्ट पद तथा वेतनमान;
- (ञ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा एवं मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा।

4. पुनरीक्षित वेतनमान.— इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से वर्तमान वाले, प्रत्येक पद का वेतनमान वह होगा, जो अनुसूची के भाग-एक एवं भाग-दो में यथा विनिर्दिष्ट किया गया है।
5. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का आहरण,— कोई न्यायिक अधिकारी, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उस पद को, जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित करेगा:

परन्तु कोई न्यायिक अधिकारी विद्यमान वेतनमान में अपना वेतन उस तारीख तक आहरित करते रहने का चयन कर सकेगा, जब तक कि वह आगामी वेतनवृद्धि या विद्यमान वेतनमान में पश्चात्पूर्वी वेतनवृद्धियां अर्जित कर लेता या जब तक कि वह अपना पद रिक्त नहीं कर देता अथवा उस वेतनमान में अपना वेतन आहरित करना बंद नहीं कर देता।

**स्पष्टीकरण 1:—** इस नियम के परन्तुक के अधीन विद्यमान वेतनमान प्रतिधारित करने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतनमान के संबंध में ही अनुज्ञेय होगा;

**स्पष्टीकरण 2:—** उपर्युक्त विकल्प सेवाओं के किसी ऐसे सदस्य को अनुज्ञेय नहीं होगा, जो 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात्, चाहे शासकीय सेवा में प्रथम बार या किसी अन्य पद से स्थानांतरण या पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया था और उसे केवल वही वेतन अनुज्ञात होगा, जो पुनरीक्षित वेतनमान में अनुज्ञेय है;

**स्पष्टीकरण 3:-** जहां सेवाओं का कोई सदस्य नियमित आधार पर स्थानापन्न हैसियत में उसके द्वारा धारण किए गए किसी पद के संबंध, में विद्यमान वेतन प्रतिधारित करने के विकल्प का, इस नियम के परन्तुक के अधीन प्रयोग करता है, वहां मूल नियम 22 या 31 के अधीन उस वेतनमान में वेतन के नियमितीकरण के प्रयोजन के लिये उसका मूल वेतन वह मूल वेतन होगा, जो वह उस दशा में आहरित करता, जबकि वह उस स्थायी पद के संबंध में, जिस पर वह धारणाधिकार रखता है, विद्यमान वेतनमान प्रतिधारित करता या धारणाधिकार धारण करता, यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं कर दिया जाता।

6. **विकल्प का प्रयोग.**—(1) सेवाओं के किसी सदस्य द्वारा नियम 5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग इन नियमों से संलग्न "प्रसूच" में तथा लिखित में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर या जहां विद्यमान वेतनमान हो, उस तारीख के पश्चात् किये गये किसी आदेश द्वारा पुनरीक्षित किया गया हो, वहां ऐसे आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा:  
परन्तु, —

- (क) सेवाओं के किसी ऐसे सदस्य के मामले में, जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को या ऐसे आदेश की तारीख को यथास्थिति, छुट्टी पर हो या राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर हो अथवा भारत के बाहर विदेश सेवा में हो, उक्त विकल्प का प्रयोग राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन मास के भीतर किया जा सकेगा;
- (ख) जहां सेवाओं का कोई सदस्य 01 जनवरी, 2016 को निलंबन के अधीन हो, वहां विकल्प का प्रयोग उसके कर्तव्य पर वापसी की तारीख से तीन मास के भीतर किया जा सकेगा, यदि वह तारीख उस तारीख के बाद की हो, जो इस उप-नियम में विहित की गई है;
- (ग) यह और कि जहां सेवाओं का कोई सदस्य 01 जनवरी, 2016 को कर्तव्य पर था और तत्पश्चात् निलंबित कर दिया गया था और इन नियमों के

प्रकाशन की तारीख को भी निलंबित हो, वहां विकल्प का प्रयोग खण्ड (ख) में यथा विहित रीति में किया जा सकेगा;

(घ) सेवाओं के वे सदस्य भी, जो 1 जनवरी, 2016 के पश्चात् और इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों, इस नियम के अधीन विकल्प का प्रयोग भी कर सकेंगे।

(2) विकल्प न्यायिक सेवाओं के सदस्य द्वारा कार्यालय प्रमुख को (जो उसका वेतन तथा भत्ते आहरित करता है) जिनके अधीन वह उस समय सेवारत हो, उसकी प्रतियां उच्च न्यायालय को देते हुए और यदि वह स्वयं ही कार्यालय प्रमुख है तो उच्च न्यायालय को ससूचित किया जाएगा;

(3) विकल्प के प्राप्त होने पर, उसके प्राप्त होने की तारीख को विकल्प पर ही यथास्थिति, कार्यालय प्रमुख अथवा उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, विकल्प को संबंधित सदस्य की सेवा पुस्तिका में लगाया जाएगा;

(4) एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा और यदि उप-नियम (1) में उल्लिखित समय के भीतर और विहित रीति में उसका प्रयोग नहीं किया गया है तो न्यायिक सेवाओं के ऐसे सदस्य के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने 1 जनवरी, 2016 में पुनरीक्षित वेतनमान का चयन कर लिया है;

**टिप्पणी 1:**— सेवाओं के सदस्य, जिसकी सेवाएं 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थीं और जो विहित समय-सीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग मृत्यु हो जाने, स्वीकृत पदों की समाप्ति पर सेवोन्मुक्त कर दिए जाने, पदत्याग, पदच्युति, अनुशासनिक आधारों पर सेवोन्मुक्त होने के कारण नहीं कर सके थे, इन नियमों का लाभ उठाने के हकदार हैं।

**टिप्पणी 2:**— सेवाओं के सदस्य, जिनकी मृत्यु 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात्, किन्तु इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पूर्व हो गई हो, अथवा जिसकी इन नियमों के प्रकाशन के पश्चात् किन्तु विकल्प का प्रयोग करने के लिए विहित कालावधि के पूर्व विकल्प का प्रयोग किए बिना ही मृत्यु हो जाती है, के संबंध में समझा जाएगा कि उसने उस वेतनमान के लिए विकल्प दिया है, जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा उनके लिए लाभप्रद समझा जाए और तदनुसार उसका वेतन नियत किया जाएगा।

**7. पुनरीक्षित वेतनमान में प्रारंभिक वेतन का नियत किया जाना.**— (1) सेवाओं के उस सदस्य का, जो 1 जनवरी, 2016 को तथा से पुनरीक्षित वेतनमान द्वारा शासित होने के लिए नियम 6 के अधीन चयन करता है या जिसके बारे में यह समझा जाता है कि उसने पुनरीक्षित वेतनमान का चयन कर लिया है, किसी भी दशा में, जब तक कि राज्य सरकार, विशेष आदेश द्वारा, अन्यथा निदेश न दे, प्रारंभिक वेतन का नियतन, उस स्थाई पद पर, जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या यदि उसे निलंबित नहीं कर दिया जाता तो वह

धारणाधिकार रखता, उसके मूल वेतन के संबंध में पृथक् से किया जाएगा और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद पर, उसके वेतन के संबंध में ऐसा मूल वेतन, अनुसूची के भाग-एक एवं भाग-2 में दी गई, वर्तमान वेतनमान से संबंधित सुसंगत तालिका में, दर्शाए अनुसार तत्स्थानी अवस्था के समकक्ष, जिसमें वह सदस्य वेतन निर्धारण के समय विद्यमान वेतनमान में वेतन पा रहा था, जो उस तालिका में दर्शाई गई है, दर्शाई राशि के बराबर होगा।

(2) पुनरीक्षित वेतनमान से वेतन नियत करने में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा :-

(क) उस दशा में, जब कोई सेवाओं का सदस्य 1 जनवरी, 2016 के पूर्व उच्च पद पर पदोन्नत किया गया हो, पुनरीक्षित वेतनमान में अपने कनिष्ठ से कम वेतन आहरित करता है, ऐसी रकम तक अग्रे बढ़ाया जाएगा, जो कनिष्ठ की पदोन्नति की तारीख से उच्चतर पद में अपने कनिष्ठ के लिए नियत वेतन के बराबर हो;

(ख) उस दशा में, जब कोई अधिकारी 1 जनवरी, 2016 के पश्चात् उच्च पद पर पदोन्नत किया गया हो, तथा उसका मूल वेतन उच्च वेतनमान की समान अवस्था में निम्न वेतनमान की समान अवस्था से कम हो तो उच्च वेतनमान में उसे आगामी अवस्था में नियत किया जाएगा ताकि उसके मूल वेतन को सुरक्षित किया जा सके;

स्पष्टीकरण 1:- यदि इस प्रकार संगणित किए गए कुल जोड़ में एक रूपए का भाग सम्मिलित हो तो उसे निकटतम रूपए तक पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात् 50 पैसे से कम को छोड़ दिया जाएगा, जबकि 50 पैसे या उससे अधिक को अगले उच्चतर रूपए तक पूर्णांकित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2:- जहां विद्यमान वेतनमान में वेतनवृद्धि 1 जनवरी, 2016 को देय हो, वहां उसे मूल वेतन के भाग के रूप में माना जाएगा।

8. पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तारीख.- (1) सेवाओं के सदस्य को, पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि उस तारीख को प्रदत्त की जाएगी, जिसको वह यदि वर्तमान वेतनमान में बना रहता तो वेतनवृद्धि आहरित करता।

(2) यदि सेवाओं का कोई सदस्य पुनरीक्षित वेतनमान में, उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन अपनी अगली वेतनवृद्धि आहरित करता है और उसके द्वारा वह अपने वरिष्ठ से, जिसकी अगली वेतनवृद्धि किसी पश्चात्वर्ती तारीख को देय होती हो, उच्चतर वेतन के लिए पात्र हो जाता है, तो ऐसे वरिष्ठ का वेतन, उस तारीख से, जिसको कि कनिष्ठ, उच्चतर वेतन के लिए हकदार हो जाता है, कनिष्ठ के वेतन के बराबर पुनर्नियत किया जाएगा, उस दशा में, जब सेवा के सदस्य का वेतन उपर्युक्तानुसार बढ़ता है, तब अगली वेतनवृद्धि आवश्यक अर्हकारी सेवा अर्थात् एक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् दी जाएगी।



9. मंहगाई भत्ता.— सेवाओं के सदस्यों को तारीख 1 जुलाई, 2016 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर लागू दरों पर मंहगाई भत्ता अनुज्ञात किया जाएगा।
10. वेतन के बकाया का भुगतान.— (1) बकाया की गणना 01.01.2016 से की जाएगी और पूर्व में अंतरिम राहत के लिए गए भुगतान को समायोजित करने के पश्चात् शेष रकम निम्नलिखित रीति से चरणों में दी जाएगी:
- (एक) 25 प्रतिशत नकद, 3 माह की कालावधि के भीतर;
- (दो) दूसरा 25 प्रतिशत नकद, इसके पश्चात् की 3 माह की कालावधि के भीतर; तथा
- (तीन) शेष 50 प्रतिशत जून, 2023 की समाप्ति पर अथवा उसके पूर्व संदाय होगा।
- स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजनों हेतु सेवा के किसी सदस्य के संबंध में "वेतन के बकाया" से अभिप्रेत है निम्नलिखित के बीच का अंतर,—
- (एक) वेतन तथा मंहगाई भत्ते का योग जो उसे इन नियमों के अधीन वेतन और भत्तों में पुनरीक्षण के कारण देय हो;
- (दो) विद्यमान परिलब्धियां जिसका कि वह पात्र होता यदि उसके वेतन तथा भत्ते इस प्रकार से पुनरीक्षित न किए जाते।
- (2) जहां सेवाओं का कोई सदस्य 1 जनवरी, 2016 के पश्चात् विभिन्न स्थापनाओं पर पदस्थ रहा हो वहां, निम्नलिखित अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी:—
- (एक) ऐसी समस्त स्थापनाएं उस स्थापना को, जहां ऐसा सदस्य वेतन के बकाया के भुगतान के समय पदस्थ हो, उसके वेतन जैसे वेतन की बकाया राशि, मंहगाई वेतन, मंहगाई भत्ता, अंतरिम राहत, सकल वेतन, कटौतों तथा कोषालय व्हाऊचर नम्बर, बिल नम्बर, नगदीकरण की तारीख आदि से संबंधित ऐसे समस्त सुसंगत विवरण, जो उसकी वर्तमान परिलब्धियों की गणना के लिए आवश्यक हों, भेजेगा;
- (दो) भुगतान के ऐसे विवरण प्राप्त होने पर सदस्य को बकाया राशि का भुगतान उस स्थापना द्वारा किया जाएगा जहां वह वेतन के बकाया के भुगतान के समय पदस्थ हो;
- (तीन) उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के मामले में, वह स्थापना जो वेतन के बकाया की राशि का भुगतान कर रहा हो, उच्च न्यायालय को समस्त विवरण जिसमें बकाया की राशि का गणना पत्रक भी शामिल है, सदस्य की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि करने हेतु भेजेगा;
- (चार) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों के मामलों में, सदस्य की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि उस स्थापना द्वारा की जाएगी जिसके द्वारा वेतन की बकाया राशि का भुगतान किया गया हो;
- (पांच) सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत सदस्यों के मामलों में, बकाया राशि का भुगतान तथा सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि उस विभाग द्वारा, जहां ऐसा सदस्य पदस्थ है, किया जाएगा;

(छह) ऐसे सदस्यों के मामले में, जो प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा में कार्यरत हों अथवा कार्यरत रहे हों, बकाया राशि का भुगतान ऐसी अंतिम स्थापना द्वारा किया जाएगा जहां ऐसा सदस्य प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व पदस्थ रहा हो अथवा जहां वह प्रतिनियुक्ति पर लौटने के पश्चात् पदस्थ हो तथा सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि भी ऐसी स्थापना द्वारा की जाएगी। बाह्य सेवा से वापस आने की दशा में, इस उप-नियम के खण्ड (तीन) तथा खण्ड (चार) में अधिकथित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तत्पश्चात् किसी भी दशा में, बाह्य सेवा की अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान, जिस अवधि में ऐसा सदस्य बाह्य सेवा में रहा हो, उस निकाय द्वारा किया जाएगा, जहां ऐसा अधिकारी सेवारत है या प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहा था तथा सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि भी प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए उसी निकाय द्वारा की जाएगी।

11. - (1) सेवानिवृत्ति लाभ—सेवाओं के सदस्य जो 1 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् मृत्यु या सेवानिवृत्ति के चलते सेवा में नहीं रहे हैं, 1 जनवरी, 2016 से, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए सन्नियमों (नाम्स) पर सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करेंगे, अर्थात् :-

(एक) सेवा के सदस्यों की अधिवार्षिकीय आयु साठ वर्ष होगी;

(दो) पूर्ण पेंशन अर्जित करने के लिए अर्हकारी सेवा 20 वर्ष होगी, तथा उन सेवा के सदस्यों के संबंध में, जिन्होंने मृत्यु या सेवानिवृत्ति के समय 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं की है, उनके द्वारा की गई वास्तविक अर्हकारी सेवा के आधार पर आनुपातिक पेंशन संगणित की जाएगी;

परंतु पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभों के लिए अर्हतादायी सेवा की कुल अवधि की गणना के लिए दस वर्ष या बार में विधि व्यवसाय की वास्तविक अवधि, इनमें जो भी कम हो, उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग में बार से सीधे नियुक्त किए गए किसी सदस्य की सेवा में इस शर्त के अध्वधीन रहते हुए जोड़ी जाएगी, कि बार में विधि व्यवसाय का महत्व केवल तभी दिया जाएगा, यदि सीधे नियुक्त हुए व्यक्ति ने सेवानिवृत्ति के पूर्ण न्यूनतम दस वर्ष के लिए वस्तुतः कार्य किया हो।

(तीन) अंतिम आहरित वेतन, पेंशन के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के रूप में लिया जाएगा तथा पूर्ण पेंशन ऐसी परिलब्धियों की 50 प्रतिशत होगी तथा पारिवारिक पेंशन के मामले में पूर्ण पेंशन ऐसी परिलब्धियों की 30 प्रतिशत होगी;

(चार) सेवाओं के सदस्यों की पेंशन का अधिकतम संरक्षीकरण उनकी पेंशन का 50 प्रतिशत तक ही होगा तथा पेंशन का प्रत्यावर्तन 15 वर्ष के पश्चात् होगा;

(पांच) संरक्षीकरण पर देय एकमुश्त राशि की संगणना अनुसूची के भाग-3 में दी गई तालिका के अनुसार वर्तमान मूल्यां पर की जाएगी। इस नियम के प्रयोजन के लिए हासित जीवनकाल की दशा में आयु ऐसी आयु मानी जाएगी, जो उस वास्तविक आयु से कम न हो, जैसा कि प्रमाणित करने वाला चिकित्सीय प्राधिकारी निदेशित करे। मूल्यां की तालिका में प्रशासनिक मंजूरी की तारीख से संरक्षीकरण की तारीख तक और वह तारीख जिस पर संरक्षीकरण होना हो, के बीच उपांतरण होने की दशा में पूर्ण भुगतान उपांतरित तालिका के अनुसार किया जाएगा और आवेदक के लिए यह खुला होगा कि यदि उपांतरित

तालिका पूर्व में प्रवृत्त तालिका की तुलना में कम अनुकूल है तो वह उस तारीख से जिसको वह उपांतरण की सूचना प्राप्त करता है, 14 दिन के भीतर, भेजी गई लिखित सूचना द्वारा अपना आवेदन वापस ले:

परन्तु सेवाओं के ऐसे सदस्यों के मामले में, जिनके मामले में पेंशन का संराशीकरण किसी आवेदक को तारीख 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात्, परन्तु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व अंतिम हुआ हो, पुनरीक्षण से पूर्व प्रभावशील संराशीकरण की तालिका के अनुसार संराशीकरण के मूल्य पुनरीक्षण से पूर्व वेतन/पेंशन के लिए प्रयोग किया जाएगा। ऐसे पेंशनर्स को विकल्प प्राप्त होगा कि वे अतिरिक्त रूप से संराशीकरण योग्य पेंशन, जो इन नियमों के प्रभावशील होने के पश्चात्वर्ती तारीख से वेतन/पेंशन के पुनरीक्षण के कारण संराशीकरण योग्य हुई हो, का संराशीकरण करवा सकते हैं। ऐसे चयन का उपयोग करने पर पुनरीक्षित

संराशीकरण की तालिका का उपयोग ऐसे अतिरिक्त पेंशन की राशि, जो पुनरीक्षण के कारण संराशीकरण योग्य हो गई हो, के संराशीकरण के लिए किया जाएगा। सेवाओं के ऐसे सदस्यों के मामले में, जो इन नियमों के प्रभावशील होने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हों, पुनरीक्षित संराशीकरण की तालिका लागू होगी;

(छह) अधिकतम पेंशन की अधिकतम सीमा नहीं होगी;

(सात) उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन, पेंशन का संराशीकरण तथा परिवार पेंशन, मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशनस जज (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) रूलस, 1964 के अनुसार होगी;

(आठ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी की परिवार पेंशन का निर्धारण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अनुसार होगा;

(नौ) वृद्ध/पेंशनरों को उपलब्ध पेंशन की राशि निम्नानुसार बढ़ा दी जाएगी:-

पेंशनर की आयु (1)	अतिरिक्त पेंशन की राशि (2)
70 वर्ष से अधिक परन्तु 75 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 10 प्रतिशत
75 वर्ष से अधिक परन्तु 80 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
90 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत

पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशनर की जन्मतिथि तथा आयु सदैव पेंशन भुगतान आदेश पर दर्शाई जाए ताकि देय होने पर

यथाशीघ्र अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने में पेंशन संवितरण प्राधिकारी सक्षम हो सके। अतिरिक्त पेंशन राशि सुस्पष्ट रूप से पेंशन भुगतान आदेश में दर्शाई जाएगी।

(दस) सभी तरह की उपदान की राशि की अधिकतम सीमा दस लाख रूपए होगी; (ग्यारह) परिवार पेंशनरों को उपलब्ध पेंशन की राशि निम्नानुसार बढ़ा दी जाएगी:-

परिवार पेंशनर की आयु (1)	अतिरिक्त पेंशन की राशि (2)
70 वर्ष से अधिक परन्तु 75 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 10 प्रतिशत
75 वर्ष से अधिक परन्तु 80 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 20 प्रतिशत
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 30 प्रतिशत
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 40 प्रतिशत
90 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल परिवार पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या अधिक	मूल परिवार पेंशन का 100 प्रतिशत

पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि परिवार पेंशनर की जन्मतिथि तथा आयु सदैव पेंशन भुगतान आदेश पर दर्शाई जाए ताकि देय होने पर यथाशीघ्र अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने में पेंशन संवितरण प्राधिकारी सक्षम हो सके। अतिरिक्त पेंशन राशि सुस्पष्ट रूप से पेंशन भुगतान आदेश में दर्शाई जाएगी।

(2) पूर्व पेंशनरों के लिए पेंशन संरचना:- वह न्यायिक अधिकारी जो 1 जनवरी, 2016 के पूर्व मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं रहा है, 1 जनवरी, 2016 से नीचे विनिर्दिष्ट किए गए सन्नियमों (नार्म्स) पर निम्नलिखित पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त करेगा, अर्थात्:-

(एक) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के उन सेवानिवृत्त सदस्य की पुनरीक्षित पेंशन, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि उसने समय-समय पर यथा पुनरीक्षित अर्हकारी सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के पुनरीक्षित वेतन के न्यूनतम 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी:

परन्तु ऐसे न्यायिक अधिकारी जो 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् और 1 जनवरी, 2006 के पूर्व मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं रहे हैं, उनकी पेंशन जो मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण नियम, 2010 के नियम 11 के उप-नियम (2) के खण्ड (एक) के अनुसार पुनरीक्षित की गई हो और ऐसे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जिनकी पेंशन कर्बाटक मॉडल के अनुसार समेकित की गई है, वह 1 जनवरी, 2006 से 03.07 मुना बढ़ाकर पुनरीक्षित की जाएगी, जो कि उसकी सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन के समतुल्य, पुनरीक्षित वेतनमान का 50% से कम नहीं होगी।

- (दो) उन पारिवारिक पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि उसने समय-समय पर यथा पुनरीक्षित अर्हकासी सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, सेवानिवृत्ति के समय न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के पुनरीक्षित वेतन के न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी:

परन्तु ऐसे न्यायिक अधिकारी जो 01 जनवरी, 1996 के पश्चात् तथा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे और जिनकी पेंशन जो मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 के नियम 11 के उप-नियम (2) के खण्ड (दो) के अनुसार पुनरीक्षित की गई हैं, तथा ऐसे सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जिनकी पेंशन कर्नाटक मॉडल के अनुरूप समेकित की गई थी, की परिवार पेंशनरों के संबंध में पूर्ण परिवार पेंशन जनवरी, 2006 से 03.07 गुना बढ़ाकर पुनरीक्षित की जाएगी, जो न्यायिक अधिकारी द्वारा उसके सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी;

- (3) पेंशनरों को मंहगाई राहत.— मंहगाई राहत उन दरों पर देय होगी, जो सेवारत न्यायिक अधिकारियों को मंहगाई भत्ते के रूप में अनुज्ञेय है।

टिप्पणी : नियम 11 (2) तब तक आस्थगित रहेगा, जब तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय, उन न्यायिक अधिकारियों, जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व सेवा में नहीं रहे हैं, की पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में अंतिम निर्धारण नहीं कर देता।

12. नियमों का अध्यारोही प्रभाव.— उन मामलों में, जहां वेतन इन नियमों द्वारा विनियमित होता है, वहां मूल नियम (फण्डामेंटल रूलस), मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 2003 और मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 तथा किन्हीं अन्य नियमों के उपबंध उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे नियमों से असंगत हैं।
13. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के कतिपय नियमों का लागू होना.— मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के नियम 5,6,7,10 तथा 11 न्यायिक सेवा को उस सीमा तक लागू होंगे जहां तक कि इन नियमों से असंगत न हों।
14. शिथिल करने की शक्ति.— राज्य सरकार, इन नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का प्रवर्तन, ऐसी सीमा तक शिथिल कर सकेगी या निलंबित कर सकेगी, जैसा कि लोकहित में न्यायसंगत और साम्यापूर्ण या आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत होता हो:

परन्तु ऐसा शिथिलकरण या निलंबन जो न्यायिक अधिकारी के लिए अलाभप्रद और माननीय उच्चतम न्यायालय के इस विषय में दिए गए निर्देशों के प्रतिकूल हो, प्रवर्तित नहीं किया जाएगा।

15. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

विकल्प का प्ररूप  
(नियम 6 देखिए)

मैं, ..... एतद्वारा, पुनरीक्षित वेतनमान रूपये .....  
का तारीख 1 जनवरी, 2006 से चयन करता हूँ।

या

मैं, ..... एतद्वारा, अपने मूल/स्थानापन्न पद .....  
के विद्यमान वेतनमान रूपये ..... को,-

(क) मेरी आगामी वेतनवृद्धि की तारीख तक,

या

(ख) मेरा वेतन रूपये ..... तक बढ़ाने वाली पश्चात्वर्ती  
वेतनवृद्धि की ..... तारीख तक; या

(ग) मेरे द्वारा पद रिक्त किए जाने तक या विद्यमान वेतनमान रूपये .....  
में वेतन आहरित करना बंद करने तक जारी रखने का चयन करता हूँ।

स्थान .....

तारीख .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

कार्यालय जिसमें नियोजित है

(जो लागू न हो, उसे काट दे)

कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... (नाम) द्वारा प्रस्तुत किया  
गया विकल्प कार्यालय में तारीख ..... को प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

**अनुसूची**  
**भाग-एक**

(नियम 3 (घ) (ड)(ज) एवं नियम-4 तथा 7(1) देखिए)

अनुक्रमांक	पदनाम	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान	लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(एक) सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)	27700-770-33090-920-40450-1080-44770	77840-136520	J-1
	(दो) सिविल न्यायाधीश (ग्रेड-2) I एशोर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (I ए.सी.पी.) ग्रेड (पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, नान फंक्शनल).	33090-920-40450-1080-45850	92960-136520	J-2
	(तीन) सिविल न्यायाधीश (ग्रेड-1) I एशोर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (I ए.सी.पी.) ग्रेड (पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, नान फंक्शनल).	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010	111000-163030	J-3
2	(एक) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, पदोन्नति ग्रेड).	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010	111000-163030	J-3
	(दो) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (ग्रेड-2) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, I ए.सी.पी ग्रेड).	43690-1080-49090-1230-56470	122700-180200	J-4
	(तीन) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (ग्रेड-1) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, II ए.सी.पी ग्रेड).	51550-1230-58930-1380-63070	144840-194660	J-5
3	जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)	51550-1230-58930-1380-63070	144840-194660	J-5
4	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड वेतनमान में संवर्ग पदों का 25% उन व्यक्तियों को दिया जावेगा जिन्होंने संवर्ग में लगातार 5 वर्ष की सेवा की हो)	57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290	163030-219090	J-6
5	जिला न्यायाधीश (अतिकाल वेतनमान (सुपर टाइम स्केल) में संवर्ग पदों का 10% उन्हें दिया जावेगा जो चयनग्रेड जिला न्यायाधीश के रूप में कम-से-कम 3 वर्ष सेवा में रहे हों)	70290-1540-76450	199100-224100	J-7

टिप्पणी-1. ए.सी.पी. के तौर पर लाभ का दिया जाना स्वतः नहीं होगा बल्कि इस प्रयोजन के लिए गठित उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा उनके कार्य के सम्पादन के आंकलन पर होगा।

2. ऐसे मामले में जहां सिविल न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के संवर्ग में कोई अधिकारी जिसे ए.सी.पी. दिया गया है वरिष्ठता तथा योग्यता की अपनी बारी में उच्चतर संवर्ग में कृत्तिक पदोन्नति से इंकार करता है वह उसे मूलवेतन पर प्रतिवर्तित कर दिया जावेगा।

3. जिला न्यायाधीशों को चयनग्रेड तथा अतिकाल वेतनमान (सुपर-टाइम-स्केल) योग्यता सह-वरिष्ठता के आधार पर दिया जाएगा।

## अनुसूची

## भाग-दो

[नियम 3 (घ), (ड), (झ) एवं 4 तथा 7(1) देखिए]

अनुक्रमांक	व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) प्रवेश स्तर	व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) ए.सी.पी. प्रथम स्टेज	व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) ए.सी. पी. द्वितीय स्टेज / व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) प्रवेश स्तर	व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) ए.सी. पी. स्टेज	व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) ए.सी.पी. द्वितीय स्टेज / जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर	जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी)	जिला न्यायाधीश (सुपर समय वेतनमान)
विद्यमान वेतनमान	27700-44700	33090-45850	39530-54010	43690-56470	51550-63070	57700-70290	70290-76450
विद्यमान प्रवेश वेतन	27700	33090	39530	43690	51550	57700	70290
स्तर	जे-1	जे-2	जे-3	जे-4	जे-5	जे-6	जे-7
वर्ष 1	77840	92960	111000	122700	144840	163030	199100
वर्ष 2	80180	95750	114330	126380	149190	167920	205070
वर्ष 3	82590	98620	117760	130170	153670	172960	211220
वर्ष 4	85070	101580	121290	134080	158280	178150	217560
वर्ष 5	87620	104630	124930	138100	163030	183490	224100
वर्ष 6	90250	107770	128680	142240	167920	188990	
वर्ष 7	92960	111000	132540	146510	172960	194660	
वर्ष 8	95750	114330	136520	150910	178150	200500	
वर्ष 9	98620	117760	140620	155440	183490	206510	
वर्ष 10	101580	121290	144840	160100	188990	212710	
वर्ष 11	104630	124930	149190	164900	194660	219090	
वर्ष 12	107770	128680	153670	169850			
वर्ष 13	111000	132540	158280	174950			
वर्ष 14	114330	136520	163030	180200			
वर्ष 15	117760						
वर्ष 16	121290						
वर्ष 17	124930						
वर्ष 18	128680						
वर्ष 19	132540						
वर्ष 20	136520						



**भाग-तीन**  
(नियम 11 (1) (पांच) देखिए)  
संगणित सारणी  
1 रूपये प्रतिवर्ष की पेंशन के लिए संराशीकरण

आगामी जन्मदिवस की आयु	वर्षों की क्रम संख्या के अनुसार अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य	आगामी जन्मदिवस की आयु	वर्षों की क्रम संख्या के अनुसार अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)
	रूपये पैसे		रूपये पैसे
20	9.188	51	8.808
21	9.187	52	8.768
22	9.186	53	8.724
23	9.185	54	8.678
24	9.184	55	8.627
25	9.183	56	8.572
26	9.182	57	8.512
27	9.180	58	8.446
28	9.178	59	8.371
29	9.176	60	8.287
30	9.173	61	8.194
31	9.169	62	8.093
32	9.164	63	7.982
33	9.159	64	7.862
34	9.152	65	7.731
35	9.145	66	7.591
36	9.136	67	7.413
37	9.126	68	7.262

38	9.116	69	7.083
39	9.103	70	6.897
40	9.090	71	6.703
41	9.075	72	6.502
42	9.059	73	6.296
43	9.040	74	6.085
44	9.019	75	5.872
45	8.996	76	5.657
46	8.971	77	5.443
47	8.943	78	5.229
48	8.913	79	4.018
49	8.881	80	4.812
50	8.846	81	4.611

आधार एल.आई.सी. (94-96) अल्टीमेट टैबिल्स तथा 8 प्रतिशत ब्याज।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

## विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

फा.क्रमांक 4973/21-ब(एक)/2023, यतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.(सी) 643/2015, ऑल इण्डिया जजेस एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य, दिनांक 19.05.2023 में दिए गए निर्देशों के पालन में तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

## संशोधन

उक्त नियमों में,-

1- नियम 10 के उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित नवीन उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“(1क) पेंशन के बकाया का भुगतान:-

पेंशन के बकाया की गणना 01.01.2016 से की जाएगी और पूर्व में अंतरिम राहत के लिए गए भुगतान को समायोजित करने के पश्चात् शेष रकम निम्नलिखित रीति से चरणों में दी जाएगी:-

- (1) पेंशन की पुनरीक्षित दरों जिनका कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमोदन किया है दिनांक 01.07.2023 से देय होगी।
- (2) 25 प्रतिशत राशि का संदाय दिनांक 31.08.2023 तक देय होगा।
- (3) अंगूली 25 प्रतिशत राशि का संदाय दिनांक 31.10.2023 तक देय होगा।
- (4) शेष 50 प्रतिशत राशि का संदाय दिनांक 31.12.2023 तक देय होगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों हेतु न्यायिक सेवा के किसी पेंशनर/परिवार पेंशनर के संबंध में पेंशन के बकाया से अभिप्रेत है, निम्नलिखित के बीच का अन्तर :-

- (एक) पेंशन और महंगाई राहत का योग जो उसे इन नियमों के अधीन पेंशन और महंगाई राहत में पुनरीक्षण के कारण देय हो।
- (दो) विद्यमान परिलब्धियां जिसका कि वह पात्र होता यदि उसकी पेंशन तथा महंगाई राहत इस प्रकार से पुनरीक्षित न किए जाते।”।

2- नियम 11 में,-

(क) उप-नियम (1) में,-

- (एक) खण्ड (दो) में परन्तुक में तीसरी पंक्ति, में शब्द “के लिए तथा” शब्द “दस” के पूर्व शब्द “अधिकतम” जोड़ा जाए;
- (दो) खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित नवीन खण्ड जोड़ा जावे:-

“(तीनक)सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति के दिनांक के पश्चात् जिस दिनांक को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होती है, वह वेतन वृद्धि सेवानिवृत्ति के समय काल्पनिक (नोशनल) रूप से जोड़कर अंतिम वेतन निर्धारित कर पेंशन निर्धारित की जाएगी।”।

(चार) खण्ड (दस) में, शब्द “लाख रूपय होगी” के पश्चात् व्याख्याश “इसमें जब भी ग्रहगाई भत्ता (जैसा कि उप-नियम (3) में विहित है) पचास प्रतिशत से अधिक होता है पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी”, जोड़ा जाए।

(ख) उप-नियम (2) में,—

(एक) खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए,—

“(एक) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के उन सेवानिवृत्त सदस्य की पुनरीक्षित पेंशन, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि उसने समय-समय पर यथा-मुनरीक्षित अर्हकारी सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम 50 प्रतिशत होगी:

परन्तु ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं रहे हैं उनकी पेंशन, पेंशन पुनरीक्षण के लिए वर्तमान मूल पेंशन में 2.81 गुणा बढ़ाकर पुनरीक्षित की जाएगी, जो कि उसकी सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(दो) खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए,—

“(दो) उन पारिवारिक पेंशनरों की पुनरीक्षित पेंशन, इस तथ्य को विचार में लिए बिना कि उसने समय-समय पर यथा पुनरीक्षित अर्हकारी सेवा पूर्ण की है अथवा नहीं, सेवानिवृत्ति के समय न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान की न्यूनतम 30 प्रतिशत होगी:

परन्तु ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं रहे हैं उनकी पारिवारिक पेंशन, पेंशन पुनरीक्षण के लिए वर्तमान मूल पेंशन में 2.81 गुणा बढ़ाकर पुनरीक्षित की जाएगी, जो कि उसकी सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन के समतुल्य पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(ग) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए,—

“(4) केन्द्रीय सरकार के पेंशन नियम 54 (3) यथा संशोधित दिनांक 19.09.2021 का लाभ परिवार पेंशनरों को भी प्राप्त होगा।”।

(घ) उप-नियम (3) के पश्चात् टिप्पणी का लोप किया जाए।

2. अनुसूची में भाग तीन के पश्चात् निम्नलिखित भाग जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"भाग-चार  
(नियम 11 उप-नियम (2))  
(फिटमेंट)

अनु.क्रमांक	एफ.एन.जे.पी.सी. के अनुसार वेतन	विद्यमान वेतन	नया प्रस्तावित वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	9000	27700	77840
2	9250	28470	80180
3	9500	29240	82590
4	9750	30010	85070
5	10000	30780	87620
6	10250	31550	90250
7	10500	32320	92960
8	10750	33090	95750
9	11050	34010	95750
10	11350	34930	98620
11	11650	35850	101580
12	11950	36770	104630
13	12250	37690	107770
14	12500	38610	111000
15	12800	39530	114330
16	13150	40450	114330
17	13500	41530	117760
18	13850	42610	121290
19	14200	43690	124930
20	14550	44770	128680
21	14900	45850	132540
22	15250	46930	132540
23	15600	48010	136520
24	15950	49090	140620
25	16350	50320	144840
26	16750	51550	149190
27	17150	52780	149190
28	17550	54010	153670
29	17950	55240	158280
30	18350	56470	163030
31	18750	57700	163030
32	19150	58930	167920
33	19600	60310	172960

(1)	(2)	(3)	(4)
34	20050	61690	178150
35	20500	63070	178150
36	20950	64450	183490
37	21400	65830	188990
38	21850	67210	188990
39	22350	68750	194660
40	22850	70290	199100
41	23350	71830	205070
42	23850	73370	211220
43	24350	74910	217560
44	24850	76450	224100"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, Date 6<sup>th</sup> October 2023.

F.NO 4973/XXI-B(One)/2023 - Whereas, in compliance of directions made by Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 643/15, All India Judges Association Vs. Union of India and Others, order dated 19-05-2023 and in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Judicial Services (Revision of Pay, Pension and Other Recruitment Benefits) Rules, 2022, namely:-

### AMENDMENTS

In the said rules,-

1. After sub-rule (1) of rule 10 following sub-rule shall be added, namely:-

"(1A) Payment of Pension Arrears:-

Commutation of Pension Arrears shall be done from 01.01.2016 and after adjusting interim relief paid earlier, remaining amount shall be given in following steps:-

- (1) Revised rates of Pension which have been approved by Honorable Supreme Court shall be paid from 01.07.2023.
- (2) 25% of the amount shall be paid by 31.08.2023.
- (3) 25% of the amount shall be paid by 31.10.2023.
- (4) Remaining 50% of the amount shall be paid by 31.012.2023.

Explanation:- For the purpose of this rule pension arrears for any pensioner/family pensioner means difference of.-

- (i) sum total of pension and dearness relief which is to be paid to him under these rules due to revision of pension and dearness relief;
- (ii) existing emoluments for which he would have been entitled if his pension and dearness relief were not revised.

2. In rule 11,-

(a) in sub-rule (1),-

- (i) in clause (ii), in proviso, in line 3, after word "benefits" and before the word "ten", the word "maximum" shall be added;
- (ii) after clause (iii) following new clause shall be added;  
"(iiia) after the date of retirement of retiring Judge, the date, on which the annual increment becomes due, by adding that increment notionally at the time of retirement by the fixing the last pay the pension shall be fixed.
- (iv) in clause (x), after word "lakh" the phrase "which shall be increased by twenty five percent whenever DA [as provided in sub-rule (3)] rises by fifty percent" shall be added;

(b) in sub-rule (2),-

(i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

(i) The revised pension of the retired Judicial Officers shall be 50% of the minimum of the revised pay of the post held by the Judicial Officer at the time of retirement, irrespective of the fact whether he has completed qualifying service or not, as revised from time to time :

Provided that the Judicial Officers who have ceased to be in service due to death or retirement before 01.01.2016 their Pension shall be revised by raising the same by 2.81 times which shall not be less than 50% of the revised pay of revised pay scale equivalent to the last pay drawn at the time of his retirement.

(ii) for clause (ii) following clause shall be substituted, namely:-

(ii) The revised pension of the family pensioners shall be 30% of the minimum of the revised pay of the post held by the Judicial Officer at the time of retirement, irrespective of the fact whether he has completed qualifying service or not, as revised from time to time:

Provided that the Judicial Officers who have ceased to be in service due to death or retirement before 01.01.2016 their Family Pension shall be revised by 2.81 times raising the same by which shall not be less than 30% of the revised pay of revised pay scale equivalent to the last pay drawn at the time of his retirement.

(c) after sub-rule (3) following sub-rule shall be added.

"(4) benefits of Central Government Pension rules 54(3) dated 19.09.2021 (as amended) shall also be available to family pensioners."

(d) after sub-rule (3), note shall be omitted.

2. In the Schedule, after Part-III, the following Part shall be added, namely :-



**"Part-IV**  
[see rule 11, sub-rule (2)]  
**(Fitment)**

S.No.	Pay as per FNJPC	Existing Pay	New Proposed Pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1	9000	27700	77840
2	9250	28470	80180
3	9500	29240	82590
4	9750	30010	85070
5	10000	30780	87620
6	10250	31550	90250
7	10500	32320	92960
8	10750	33090	95750
9	11050	34010	95750
10	11350	34930	98620
11	11650	35850	101580
12	11950	36770	104630
13	12250	37690	107770
14	12500	38610	111000
15	12800	39530	114330
16	13150	40450	114330
17	13500	41530	117760
18	13850	42610	121290
19	14200	43690	124930
20	14550	44770	128680
21	14900	45850	132540
22	15250	46930	132540
23	15600	48010	136520
24	15950	49090	140620
25	16350	50320	144840
26	16750	51550	149190
27	17150	52780	149190
28	17550	54010	153670
29	17950	55240	158280
30	18350	56470	163030
31	18750	57700	163030
32	19150	58930	167920
33	19600	60310	172960
34	20050	61690	178150

(1)	(2)	(3)	(4)
35	20500	63070	178150
36	20950	64450	183490
37	21400	65830	188990
38	21850	67210	188990
39	22350	68750	194660
40	22850	70290	199100
41	23350	71830	205070
42	23850	73370	211220
43	24350	74910	217560
44	24850	76450	224100"

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. K. DWIVEDI, Principal Secy.



मध्यप्रदेश शासन,  
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 2251/2024/21-ब(एक),

भोपाल, दिनांक 06/06/2024

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,  
म.प्र. उच्च न्यायालय,  
जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के समान महंगाई राहत का भुगतान किये जाने के संबंध में।

केन्द्र सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन क्रमांक 42/04/2023-P&PW(D) दिनांक 27/10/2023 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केन्द्र के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को उनके पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 42/04/2023-P&PW(D) दिनांक 06/04/2023 के अनुक्रम में दिनांक 01/07/2023 से 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम-11(3) के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 27/10/2023 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम-11(3) अनुसार दिनांक 01/07/2023 से पेंशन पर राहत 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

( धर्मपाल सिंह सिवाच )

सचिव;

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

निरंतर 2 पर...

//2//

पृ. फा.क्रमांक 2251/21-ब(एक)/2024  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 06/06/2024  
(1)

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीडित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवालय, भोपाल,
19. अतिरिक्त सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
25. सभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
26. सभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल,
27. रागस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
28. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन-452010,
29. उष सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
32. इलाहाबाद बैंक ऑफिस कॉम्प्लैक्स गौतम नगर भोपाल
33. बैंक ऑफ बाडोदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्प्लैक्स एम.पी नगर भोपाल
34. बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
35. यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
36. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल

//3//

37. पंजाब नेशनल बैंक ऑफ एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल
38. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स, भोपाल
39. अवर सचिव, मानिट्रिंग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
40. प्रशासकीय अधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
41. प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य.....
42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10/06/24  
N/adev  
6 (निलेश यादव)  
अतिरिक्त सचिव,

गध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No. 42/04/2023-P&PW(D)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions  
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan  
Khan Market, New Delhi-110003  
Date:- 27<sup>th</sup> October, 2023

OFFICE MEMORANDUM

**Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.07.2023.**

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/04/2023-P&PW(D) dated 06.04.2023 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of 42% to 46% of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) w.e.f 01<sup>st</sup> July, 2023.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

- (i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D) Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
- (ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
- (iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.
- (iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.
- (v) Pensioners who are in receipt of provisional pension.
- (vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

5. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.


6. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

7. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21<sup>st</sup> May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

8. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

9. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/4/2023-E.II(B) dated 20.10.2023

Hindi version will follow.



20-10-2023

( Sanjiv Narain Mathur )

Additional Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

84970

34



मध्यप्रदेश शासन,  
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक: 2250/2024/21-ब(एक),

भोपाल, दिनांक 06/06/2024

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,  
म.प्र. उच्च न्यायालय,  
जबलपुर (म.प्र.)

001040

विषय:- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के समान महंगाई राहत का भुगतान किये जाने के संबंध में।

केन्द्र सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 13/03/2024 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को उनके पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 42/04/2023-P&PW(D) दिनांक 27/10/2023 के अनुक्रम में दिनांक 01/01/2024 से 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम-11(3) के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होंगी।


अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 13/03/2024 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम-11(3) अनुसार दिनांक 01/01/2024 से पेंशन पर राहत 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(धर्मपाल सिंह सिवाच)

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

निरंतर 2 पर..



PA

H-239  
25/6/24

Sh. Anand  
25/6/24



//2//

पृ. फा.क्रमांक 2250/2024/21-ब(एक),

भोपाल, दिनांक 06/06/2024

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, रौस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवालय, भोपाल,
19. अतिरिक्त सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
25. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
26. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल,
27. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
28. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन-452010,
29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
32. इलाहाबाद बैंक ऑफिस कॉम्प्लैक्स गौतम नगर भोपाल
33. बैंक ऑफ बाडोदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्प्लैक्स एम.पी नगर भोपाल
34. बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
35. यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
36. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल

निरंतर 3 पर.

//3//

37. पंजाब नेशनल बैंक ऑफ एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल
38. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेण्ट प्रेस अरेरा हिल्स, भोपाल
39. अवर सचिव, मानिट्रिंग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
40. प्रशासकीय अधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
41. प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य.....
42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14/06/2019  
(निवेश यादव)  
अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No. 42/02/2024-P&PW(D)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions  
Department of Pension & Pensioners' Welfare  
\*\*\*\*\*

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan  
Khan Market, New Delhi-110003  
Date :- 13<sup>th</sup> March, 2024

OFFICE MEMORANDUM

**Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.01.2024-reg**

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/04/2023-P&PW(D) dated 27.10.2023 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of 46% to 50% of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) w.e.f 01<sup>st</sup> January, 2024.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

- (i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D) Vol. II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.
- (ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.
- (iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.
- (iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.
- (v) Pensioners who are in receipt of provisional pension.
- (vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. The payment of arrears of Dearness Relief shall not be made before the date of disbursement of pension/family pension of March, 2024.

5. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

Contd/....

6. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.


7. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

8. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528-TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-84 (ii) (CGL)/81 dated the 21<sup>st</sup> May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks.

9. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

10. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No: 1/1/2024-E-II (B) dated 12.03.2024.

Hindi version will follow.

  
(Ravinder Kumar) 13/3/24  
Director

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) – द्वितीय, मध्यप्रदेश  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh



No./Pension/ 3595

R1769631615-100  
SSDR/02  
27/12/24

Date:- 11-12-24

To,  
The

1.	Principal Accountant General (A&E) Telangana, Saifabad, Hyderabad	500004
2.	Principal Accountant General (A&E) Andhra Pradesh, Vijayawada	520002
3.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
4.	Accountant General (A&E) Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
5.	Accountant General (A&E) Bihar, Birchand Patel Marg, R-Block, Patna	800001
6.	Accountant General (A&E) Chhatisgarh, Baloda Bazar Road, Opp. Vidhan Sabha Road, Raipur	492005
7.	Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Fazenda Building, Behind old Secretariat, Panji, Goa	403001
8.	Pr. Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad, "Audit Bhawan", Vth Floor, Navarangpura, Ahmedabad	380009
9.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
10.	Pr. Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
11.	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
12.	Pr. Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5 Bengaluru	560001
13.	Pr. Accountant General (A&E), Kerala, Post Box No.5607, M.G Road Thiruvananthapuram	695001
14.	Pr. Accountant General (A&E), Jharkhand, Post office Doranda, Ranchi	834002
15.	Pr. Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd floor, Partishtha Bhawan, New Marine Lines, Marashi Karve Road, Mumbai	400020
16.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
17.	Pr. Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
18.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shillong	793001
19.	Accountant General (A&E), Mizoram, New Capital Parisar, Khatla, Aizawl	796001
20.	Pr. Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
21.	Accountant General (A&E), Odissa, Bhubaneswar	751001
22.	Accountant General (A&E), Punjab & UT of Chandigarh, Sector 17 E, Chandigarh	160017
23.	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
24.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
25.	Accountant General (A&E), Tamilnadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
26.	Accountant General (A&E), Tripura, PO-Kunjavan, Agartala	799006
27.	Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Audit Bhawan, Vibhuti	226001

Shri K  
27/12/24

59815 =  
27/12/24

76 DEC 2024

Address : Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002  
Phone : 0751-2370963  
Fax : 0751-2432194

पता : लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर-474002  
दूरभाष : 0751-2370963  
फैक्स : 0751-2432194

आपके  
समन्वय  
अनुमति

	Khand, Gomti Nagar, Lucknow (U.P)	
28.	Accountant General (A&E)-II, 20 Sarojini Naidu Marg, Uttar Pradesh, Prayagraj (U.P)	211002
29.	Pr. Accountant General (A&E), Uttrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun	248195
30.	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, Kolkata	700001
31.	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry	605001
32.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110001
33.	Pay & Accounts Officer No.5, Pension Govt. of National Capital Territory of Delhi Treasury Building, Tis Hazari, New Delhi	110054
34.	Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Sub:- Government of Madhya Pradesh order regarding revised rate of Dearness Relief (@ 50% in 7th Pay Scale and 239% in 6th pay Scale) w.e.f 01.10.2024 to Pensioners/ family Pensioners of state of Madhya Pradesh.

Ref:- Govt. of MP Finance Dept. order no. F9-2/2024/Rule/IV dated 30.10.2024.

Sir,

I am enclosing herewith the copy of Government of Madhya Pradesh, Finance Department order regarding enhancement of Dearness Relief w.e.f. 01.10.2024 to pensioners/ family pensioners of the state of Madhya Pradesh under special seal authority for necessary action.

You are requested to circulate the aforesaid orders to all pension disbursing authorities (Treasuries/Sub-Treasuries) to enable them to regulate the payment of Dearness Relief on pension accordingly.

Encl:- As Stated above.

Yours Faithfully

*Unmh*  
Sr. Accounts Officer/Pension

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग,

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्र. एफ 9-2/2024/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वानियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में।

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-2/2024/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 15 मार्च, 2024 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 मार्च, 2024 से (भुगतान माह अप्रैल, 2024) से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 230% की दर से एवं सातवें वेतनमान में 46% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

2/ छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा पत्र दिनांक 17.10.2024 से म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनर / परिवार पेंशनर को 01 अक्टूबर, 2024 से सातवें वेतनमान में 50% एवं छठवें वेतनमान में 239% मंहगाई राहत दिये जाने हेतु सहमति चाही गयी है।

3/ छत्तीसगढ़ शासन के उपरोक्तानुसार पत्र के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में 01 अक्टूबर, 2024 (भुगतान माह नवम्बर, 2024) से निम्नानुसार वृद्धि की महर्ष स्वीकृति दी जाती है :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत में वृद्धि की दर		वृद्धि के पश्चात मंशोधित मंहगाई राहत की दर	
	छठवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छठवां वेतनमान	सातवां वेतनमान
01 अक्टूबर, 2024 से (माह अक्टूबर, 2024 की पेंशन/परिवार पेंशन जो नवम्बर, 2024 में देय होगी)	09%	04%	239%	50%

\* 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।

निरंतर...

4/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. (6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 05-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी।

5/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

6/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।

7/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

8/ राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।

9/ संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(पी.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग



Government of Madhya Pradesh

Finance Department

Mantralaya- Bhopal

No.- F 9-2/ 2024/Rule/IV  
To,

Bhopal, dated 30 October, 2024

All Departments of Government  
The President of Board of Revenue, Gwalior  
All Commissioners of Divisions,  
All Heads of Department,  
All Collectors,  
Madhya Pradesh

Sub - Revised rate of dearness relief to Pensioners/family pensioners of state of Madhya Pradesh.

The State Government had sanctioned 46% Dearness Relief in 7<sup>th</sup> Pay Scale and 230% in 6<sup>th</sup> Pay Scale w.e.f. 01 March 2024 (To be paid in April, 2024) on pension / family pension to its pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No.F 9-2/2024/Rule/IV Bhopal, dated 15 March, 2024.

2/ Government of Chhattisgarh has sanctioned Dearness relief @50% in 7<sup>th</sup> pay commission & @239% in 6<sup>th</sup> pay commission to the Pensioner's / Family pensioner's with effect from 01.10.2024 and sought consent of Government of Madhya Pradesh by its letter dated 17.10.2024 for the same.

3/ After sanctioning of Dearness Relief by Government of Chhattisgarh, Government of Madhya Pradesh is pleased to sanction the Dearness Relief admissible to pensioners/family pensioners as given below :-

	Date from which payable	Rate of increase in D.R.		Revised rate of D.R. after increase	
		VI <sup>th</sup> Pay Scale	VII <sup>th</sup> Pay Scale	VI <sup>th</sup> Pay Scale	VII <sup>th</sup> Pay Scale
1.	w.e.f. 01.10.2024 (Pension/family pension for the month of October, 2024 to be paid in November, 2024)	09%	04%	239%	50%

\* The additional pension payable to the pensioner's / family pensioner's aged 80 years or above shall also qualify for dearness relief.

Contd....

1/2/11

4/ The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extraordinary pension subject to the restrictions contained in the Finance Department's Memo No.F.B.6/43/76/r-II/IV dated 05.10.76 . This relief on family pensions shall be payable in such cases, where a person was already in service at the time of the death of the spouse and was not appointed on compassionate grounds. However, this relief on family pension shall not be payable in those cases, where a person has been appointed on compassionate grounds, on account of death of the spouse.

5/ Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).


6/ This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board / Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3<sup>rd</sup> commuted portion of pension in terms of this Department's memo No. F 9/9/2006/Rule/IV dated 05-01-2007 .

7/ Fraction of rupee of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

8/ All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/ Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the provisions of relevant rules M.P.T.C. 2020 .

9/ After payment of dearness relief, the same may be got test checked by the Director Pension in bank branches, and if some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment of next months.

By order and in the name of  
Governor of Madhya Pradesh

  
(P.K. Shrivastava)  
Deputy Secretary,

Government of Madhya Pradesh  
Finance Department

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री / राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
8. निज सचिव/निज सहायक, मान. वित्त मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
9. निज सचिव; प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
10. निज सचिव, सचिव, वित्त विभाग
11. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
12. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
13. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
14. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर (100 प्रतियां ) ।
15. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
16. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल ।
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल ।
20. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
21. समस्त अपर सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / परामर्शी / अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग
22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संच ।
23. संचालक, पेंशन, 26 किसान भवन मण्डी बोर्ड परिसर, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011.

24. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।
25. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
26. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
27. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेण्ट एण्ड बैंक एकाउण्टस डिपार्टमेण्टस, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई- 400051, (100 प्रतियां )
28. सहायक मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शासकीय लैन-देन, लोकल हेड ऑफिस, पोस्ट बैग नं.-6, मैदा मिल के मामले, भोपाल -462012, (10 प्रतियां )
29. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, एम.पी.जो, बैंक ऑफ इण्डिया हाऊस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011, (300 प्रतियां)
30. चीफ मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011, (200 प्रतियां)
31. उप मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, बम्बई मार्केट, प्रथम तल, सी-विंग, जी.ई.रोड, रायपुर-492001, (100 प्रतियां )
32. मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, जोनल ऑफिस, अरेरा हिल्स जेल रोड, भोपाल-462011 (75 प्रतियां )
33. चीफ मैनेजर, इंडियन बैंक, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, गौतम नगर, भोपाल-462011, (300 प्रतियां )
34. सहायक मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र , रीजनल आफिस, 1/14 जेल रोड, एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011, (150 प्रतियां)
35. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आरसीसी 1/4 जेल रोड एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल -462011, (45 प्रतियां )
36. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016, (150 प्रतियां )
37. मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल कम्प्यूटर प्रोसेसिंग सेंटर, गोविन्दपुरा, भोपाल-462024 (10 प्रतियां)

५


38. क्षेत्रीय प्रबंधक,पंजाब नेशनल बैंक,सर्कल आफिस,20 जेहनगर,इन्दौर-452001  
(65 प्रतियां )
39. क्षेत्रीय प्रबंधक,पंजाब नेशनल बैंक,सर्कल आफिस,1227 नेपीयर टाऊन,जबलपुर-482001  
(65 प्रतियां)
40. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक,सर्कल आफिस,मदीना मंजिल,कचहरी चौक,जेलरोड,रायपुर 492001 (65 प्रतियां)
41. क्षेत्रीय प्रबंधक,यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,क्षेत्रीय कार्यालय, 12-12ए, अनूपनगर, एल.आई.सी.बिल्डिंग,एम.आई.जी.चौराहा, इन्दौर-452001 (55 प्रतियां )
42. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनिन बैंक ऑफ इण्डिया,क्षेत्रीय कार्यालय, गुरूनानक मार्केट ज्योतिं टाकीज के पास,नेपियर टाऊन जबलपुर-482001 (55 प्रतियां )
43. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनिन बैंक ऑफ इण्डिया,क्षेत्रीय कार्यालय,सिरमोर चौराहा,इलाहबाद रोड,पोस्ट बाक्स नम्बर-10, रीवा-486001 (60 प्रतियां )
44. क्षेत्रीय प्रबंधक; यूनिन बैंक ऑफ इण्डिया,क्षेत्रीय कार्यालय,पोस्ट बाक्स नम्बर 23 महावीरं काम्पलेक्स, के.के. रोड, मौधपाड़ा, रायपुर (छत्तीसगढ़ ) (40 प्रतियां ) की ओर वित्त विभाग के पृ.क्र.ई-4-1/81/नि.-2/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुक्रम में अग्रेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अग्रेषित करें ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राहत राशि का भुगतान मिविल पेंशनरों को यथामंभव शीघ्र हो सके (क्रमांक 23 मे 41 हेतु) ।
45. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर,गुजरात-382 010
46. वित्त सचिव, आंध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद-500 001
47. वित्त सचिव, असम शासन, शिल्वांग, 793 001
48. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना, 800 001
49. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची, 834 002
50. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम, 695 039
51. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चैन्नई, 600 018
52. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 400 020
53. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बंगलोर, 560 001
54. वित्त सचिव, उडिसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर, 751 001

55. वित्त सचिव, प्रजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160017
56. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
57. वित्त सचिव, हिमाचल-प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला, 171 003
58. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर, 302 001
59. वित्त सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ, 226 001
60. वित्त सचिव, पश्चिम-बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता, 700 001
61. वित्त सचिव, जम्मू एवं काश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर, 190 001
62. वित्त सचिव, मणीपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल, 795 001
63. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला, 799 001
64. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा, 797 001
65. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली, 110 001
66. वित्त सचिव, गोवा- शासन, मंत्रालय पणजी गोवा, 403 101
67. वित्त सचिव, दीव एवं दमण शासन मंत्रालय, पणजी गोवा, 403 101
68. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर, 492 001
69. वित्त विभाग, सिक्किम शासन, मंत्रालय, दन्तक, 717 101
70. वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादुन-248 001( सरल क्रमांक 42 से 66 तक 2 प्रतियों सहित)
71. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) गुजरात, 5 वां मंजिल, सी ब्लॉक, बहु मंजिली भवन, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380 001 ( 100 प्रतियां )
72. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) गुजरात, राजकोट 360 001 ( 100 प्रतियां )
73. महालेखाकार-1, ( लेखा एवं हक ) आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, 500 463 ( 250 प्रतियां )
74. महालेखाकार-2, ( लेखा एवं हक ) आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, 500 463 ( 50 प्रतियां )
75. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793 001 (20 प्रतियां )
76. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) मणीपुर, इम्फाल 795 001 (20 प्रतियां)
77. प्रधान महालेखाकार,-2, (लेखा एवं हक) बिहार, बिरचंद पटेल मार्ग, षटना 800 001 (75 प्रतियां)

6

78. प्रधान महालेखाकार,-1, (लेखा एवं हक) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834 002 (35 प्रतियां )
79. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695 039 (240 प्रतियां)
80. महालेखाकार-1, ( लेखा एवं हक ) तमिलनाड, चैनई, 600 018 ( 150 प्रतियां)
81. महालेखाकार-2, ( लेखा एवं हक ) तमिलनाड, चैनई , 600 018 ( 100 प्रतियां)
82. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, 400 020 (100 प्रतियां )
83. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001 (100 प्रतियां )
84. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बंगलोर 560 002 (150 प्रतियां)
85. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) उड़ीसा, भुवनेश्वर, 751 001 (150 प्रतियां )
86. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) पंजाब, चंडीगढ़, 160 017 (70 प्रतियां )
87. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं. 4 व 5 सेक्टर, 33 बी चंडीगढ़, 160 047 ( 60 प्रतियां)
88. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हिमाचल प्रदेश, गौर्टन कॅसल भवन, शिमला 171 003 (150 प्रतियां)
89. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, भगवान दास मार्ग, जयपुर 302 001 ( 200 प्रतियां)
90. महालेखाकार -3, ( लेखा एवं हक ) उत्तर-प्रदेश, लखनऊ, 226 001 ( 50 प्रतियां )
91. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, इलाहाबाद, 211 001 ( 200 प्रतियां )
92. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) पश्चिम-बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता 700 001 ( 200 प्रतियां )
93. महालेखाकार, ( लेखा एवं हक ) जम्मू एवं काश्मिर, श्रीनगर, 190 001 ( 50 प्रतियां )
94. महालेखाकार, त्रिपुरा, अगरतला, 799 001 (25 प्रतियां )
95. महालेखाकार, नागालैण्ड, कोहिमा 797 001 ( 50 प्रतियां.)

107. बार द्विप, पोर्टब्लेयर 744 011 (50 प्रतियां)
108. वेतन एवं' लेखा अधिकारी, क्रमांक 5 (पेंशन), तीस हजारी, दिल्ली 110 006  
(30 प्रतियां)
109. सहायक मिलीट्रि एटेंची (पेंशन) भारतीय दूतावास, काठमाण्डू, नेपाल -1 महालेखाकार  
(लेखा एवं हकदारी 2) ग्वालियर के माध्यम से (10 प्रतियां)।
110. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110 001 महालेखाकार  
ग्वालियर के माध्यम से (10 प्रतियां)
111. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110 001 (50 प्रतियां)
112. महालेखाकार (लेखा एवं हक) छत्तीसगढ, रायपुर 492 001 (200 प्रतियां)
113. संचालक, पेंशन संचालनालय, छत्तीसगढ, रायपुर, 492 001 ( 200 प्रतियां )
114. मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग, डी-12 माचना कालोनी 6 नंबर स्टाप के  
पास शिवाजी नगर, भोपाल ।



अवर सचिव  
म.प्र. शासन, वित्त विभाग